



Ministry of Housing  
and Urban Affairs  
Government of India



स्वच्छ सर्वेक्षण

2019

सर्वे टूलकिट

## फॉरवर्ड



### हरदीप एस पुरी

मान. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को उनके 150 वें जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से, देश ने 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त होने का संकल्प लिया है। शहरी भारत ने देश के स्वच्छता की स्थिति में विशेष योगदान देकर इस सपने की बुनियाद रखी है। दो माह से भी कम समय में अब हम स्वच्छ भारत कि 5 वर्षीय मैराथन की अंतिम चक्र में दाखिल होंगे। मिशन का अंतिम वर्ष खुले में शौच से मुक्त और स्वच्छ भारत के लक्ष्यों पर केन्द्रित होगा।

जब स्वच्छ सर्वे 2018 के परिणाम जारी हुए थे, उस समय शहरों का उत्साह और अपेक्षाएं चरम पर थीं, इस सर्वे ने शहरों और शहरी नागरिकों के मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी।

तब से आज तक शहरों के बीच स्वच्छता के लिए एक स्वस्थ स्पर्धा जारी है, इसके बीच स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए यह टूलकिट जारी करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। इस सर्वे में देश के सभी निकायों को शामिल किया जायेगा, समय से पहले जारी किये जा रहे सूचकों के सहायता से जहाँ एक और शहरों को तैयारियों में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर वे अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए स्वच्छता और साफ़ सफाई के लिए विशेष प्रयास कर सकते हैं।

मैं सभी शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और शहरी स्वच्छता के लिए फिर शुरू होने वाली स्वस्थ स्पर्धा के माध्यम से स्वच्छता के सन्देश को आगे ले जाने की अपेक्षा करता हूँ।

हरदीप एस पुरी

मान. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

आवास और शहरी, मंत्रालय

## फॉरवर्ड



### दुर्गा शंकर मिश्रा

सचिव

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य स्वच्छ भारत की दिशा में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाना, खुले में शौच से मुक्त स्थिति और स्वच्छता को निरंतर रखने में शहरों की क्षमताओं का विकास करना और समाज के सभी वर्गों का सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए सामूहिक योगदान सुनिश्चित करना है।

प्रथम स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में शहरों की 7.30 करोड़ आबादी को शामिल करने के बाद, 2017 में 434 शहरों के बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में अब 4,203 शहरों को शामिल करना हमें और समर्पण के साथ सक्रियता दर्शाने के लिए प्रेरित करता है। जिससे हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में नागरिकों को और बेहतर स्वच्छ वातावरण और सेवाएँ उपलब्ध करा सकें।

इस सर्वेक्षण में प्रक्रियाओं और सूचकों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है, जिसमें न सिर्फ स्वच्छता स्थाई हो बल्कि इसमें नागरिकों की सहभागिता की विशेष भूमिका का निर्धारण किया जा सके।

स्वच्छ सर्वेक्षण अब भारत में स्वच्छता की स्थिति का एक विशिष्ट पैमाना बन चुका है और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये मार्गदर्शिका स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में शहरों की भागीदारी बढ़ाने और उनकी तैयारी में सहयोगी होगी।

**Durga SHanker MiSHra**

Secretary

Ministry of Housing & Urban Affairs

## फॉरवर्ड



### विनोद कुमार जिंदल

संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय मिशन निदेशक  
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)  
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

शहरों को स्वच्छता और साफ़ सफाई के मानकों के आधार पर रैंकिंग करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा साल 2016 में शहरों के बीच स्वच्छता के लिए स्वस्थ स्पर्धा प्रारंभ करने के उद्देश्य से स्वच्छ सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया था। 2016 में प्रथम चक्र में शहरों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7.30 करोड़ से अधिक आबादी को शामिल किया गया है। इस पहले चक्र में शहरों में उत्साह और जोश का संचार हुआ जिससे साल 2017 में स्वच्छ सर्वेक्षण एक लाख और अधिक की आबादी के 434 शहरों में किया गया। इसके बाद तीसरे चक्र में 4,203 शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण, 66 दिन के रिकार्ड समय में सम्पूर्ण देश में पूरा करके, दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वे का गौरव हासिल किया। जिसमें करीब 40 करोड़ नागरिकों तक पहुँच सुनिश्चित की गयी।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 देश के सभी शहरों और नगरों में 4 से 31 जनवरी 2019 के बीच किया जायेगा।

इस सर्वे का विशिष्ट आकर्षण इस सर्वे में होने वाली

नागरिकों की बड़ी भागीदारी है। स्वच्छता में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने, शहरों को कचरा मुक्त करने, खुले में शौच की स्थिति को निरंतर रखने, परिणामों और विषयों को तीसरे पक्ष से प्रमाणित कराने, ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से वर्तमान प्रक्रियाओं को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना और समाज के सभी वर्गों में शहरों और नगरों को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने के लिए जागरूकता का संचार करना आदि प्रमुखता से चर्चा किये जायेंगे।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए टूलकिट को जारी करना मेरे लिए हर्ष का विषय है। इसमें समाहित की गयीं सर्वे की प्रक्रियाएं, मूल्यांकन के मानक बिंदु और उनकी जानकारीयों निकायों के लिए उपयोगी और जानकारीपरक होंगे। जिनसे शहर स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे। इसके साथ ही वे अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के सभी बिन्दुओं पर काम कर सकेंगे जिससे उनकी रैंकिंग में सुधार होगा।

मैं सभी शहरों को उनकी सफलता के लिए शुभकामनायें देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे इस मार्गदर्शिका का उपयोग कर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए स्वयं को और बेहतर तरीके से तैयार करेंगे।

## विषय - सूची

सर्वेक्षण कार्यप्रणाली	05
स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 रैंकिंग मानदंड	09
मूल्यांकन वेटेज में परिवर्तन	10
'सेवा स्तर प्रगति 'वेटेज वितरण'	13
<b>भाग -1:</b> सेवा स्तर की प्रगति	
• संग्रह और परिवहन (7 संकेतक)	15
• प्रसंस्करण व निष्पादन (8 संकेतक)	23
• संवहनीय स्वच्छता (7 संकेतक)	32
• आई.ई.सी. और व्यवहार परिवर्तन (3 संकेतक)	40
• क्षमता वर्धन (2 संकेतक)	44
• बाई-लॉज़ / विनियमन (4 संकेतक)	47
• नवाचार (2 संकेतक)	52
<b>भाग -1 ए:</b> सेवा स्तर प्रगति का स्वतंत्र सत्यापन	56
<b>भाग 2:</b> प्रमाणन	58
<b>भाग 3:</b> प्रत्यक्ष अवलोकन	61
<b>भाग 4:</b> नागरिक प्रतिक्रिया	70



## सर्वे – कार्यप्रणाली

### आंकड़ों के संग्रहण की विधियाँ और स्रोत


शहरों के श्रेणीकरण के लिए आंकड़ों का संग्रहण और उनका वर्गीकरण निम्न प्रमुख चार भागों में किया जायेगा :

1. MoHUA के ऑनलाइन MIS पोर्टल पर दर्शाई गयी सेवा वृद्धि के आंकड़ों से
2. सीधे अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों से
3. नागरिकों के फीडबैक से प्राप्त आंकड़ों से।
4. कचरा मुक्त और खुले में शौच से मुक्त शहरों के प्रमाणीकरण से प्राप्त आंकड़ों शहरों से।

सर्वे के सभी सूचकों (indicators) और प्रश्नावलियों (questionnaire) में कुल 5000 अंक होंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 मूल्यांकन के लिए MoHUA द्वारा सम्पूर्ण मूल्यांकन और स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों के लिए उनके महत्व (weightage) में कुछ बदलाव किया गया है, जो निम्नानुसार हैं


### स्वच्छ सर्वेक्षण 2018

कुल अंक : 4,000




### स्वच्छ सर्वेक्षण 2019

कुल अंक : 5,000




## स्वच्छ सर्वेक्षण 2018

कुल अंक: 1,400



## स्वच्छ सर्वेक्षण 2019

कुल अंक : 1,250



### शहरों की रैंकिंग की प्रक्रिया

**भाग 1 : सेवाओं के स्तर का विकास :** ( MoHUA के MIS पोर्टल पोर्टल पपर निकायों द्वारा दर्ज आंकड़ों के माध्यम से ) : निकायों द्वारा ऑनलाइन MIS पोर्टल पर जानकारियां दर्ज करना होंगी, जहाँ सभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के सभी सूचकों पर जानकारियां संकलित होंगी। यहाँ जानकारियां दर्ज करने के बाद सभी नगर निगम कमिश्नर अथवा नोडल अधिकारी सर्वे इन्डिकेटर्स और प्रश्नावलियों के आधार पर अपने निकाय की स्थिति का स्व आकलन भी कर सकेंगे। सर्वे एजेंसी ऑनलाइन MIS में निकाय द्वारा दर्ज सभी बिन्दुओं आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि करेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के ऑपरेशनल डिजाइन के अनुसार सर्वे एजेंसी जानकारियों और आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि के लिए निकाय अधिकारियों से संपर्क नहीं करेगी। निकायों द्वारा ऑनलाइन MIS में अंतिम आंकड़े 15 दिसंबर 2018 तक दर्ज किये जा सकेंगे। यही आंकड़े मूल्यांकन के लिए मान्य किये जायेंगे।

### भाग -2 : प्रमाणीकरण :

**कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग और खुले में शौच से मुक्त शहरों के लिए नियम व कायदे (Protocols) :** MoHUA द्वारा शहरों के प्रमाणीकरण के लिए दो प्रमुख पहलुओं पर प्रस्तुत किये गए हैं।

**कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग :** शहरों को तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणित किये जाने पर निर्धारित नियमों और कयदों के तहत MoHUA द्वारा 1,2

35 और रेटिंग दी जाणीये नियम व कायदे शहरों द्वारा ठोस अपशिष्ट निस्तारण के स्थाई समाधान को सुनिश्चित के आधार पर होंगे। इसके अनुसार नागरिकों का फीडबैक और उनके द्वारा की गई पुष्टि भी इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग होगा।

**खुले में शौच से मुक्ति के नियम और कायदे (protocols) :** चूँकि अधिकांश शहरों द्वारा खुले में शौच से उक्त होने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगतिकी है अतः मंत्रालय द्वारा इस वर्ष ODF+ और ODF++ प्रोटोकॉल को जारी किया गया है। जो शहरों में पब्लिक और सामुदायिक शौचालयों को उनके उचित रखरखाव, निरंतर उपयोग, साफ सफाई आदि के साथ साफ सफाई, स्वच्छता के साथ निरंतरता और स्वच्छता के पूर्ण चक्र जैसे मल का उचित प्रबंधन आदि।


- भाग 3 : सीधे अवलोकन द्वारा
- (सीधे आंकड़ों का संग्रहण और जमीनी अवलोकन): आंकड़ों का सीधे संग्रहण एजेंसी द्वारा सीधे भौतिक अवलोकन द्वारा किया जायेगा। निकायों द्वारा MoHUA के MIS पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों और जानकारीयों पुष्टि के लिए एजेंसी द्वारा प्रश्नावलियां प्रयोग की जा सकती हैं। जहाँ आवश्यक होगा सर्वे एजेंसी नक्शे और जानकारीयों/ चाय चित्रों/ वीडियो आदि को दर्ज करने के सामान्य उपकरण का प्रयोग कर सकती है।  
सर्वे एजेंसी उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने अवलोकनों के साक्ष्य के रूप में उचित छायाचित्रों को रख सकती है। उसमें दिनांक/समय/लोकेशन की जानकारी आदि होना आवश्यक है। ये सभी जानकारीयां MoHUA को अनुबंध के अनुसार शहरों कि रिपोर्ट और जानकारीयों के साथ जमा करना होगा।  
सर्वे एजेंसी सीधे अवलोकन के लिए हर शहर के हर जोन में निम्न स्थानों पर आवश्यक भ्रमण करेगी।
- **आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में:** झुग्गी बस्ती/ पुराने शहर/ नियोजित और अनियोजित क्षेत्र/ अनौपचारिक बसाहट के क्षेत्र/ और शहरों से लगे हुए गाँव ( झुग्गी बस्तियां उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में रेंडम आधार पर चयन करना होगा।) मूल्यांकनकर्ता द्वारा यह भी देखा जायेगा कि  
-- शहर की सुन्दरता को और बेहतर करने के लिए वाल पेंटिंग/ भित्तिचित्र और कलाकृतियों के साथ आवश्यक वृक्षारोपण भी किया गया है।  
- नालों और जल निकासी मार्गों को कवर किया गया है। जल भराव की स्थिति नहीं है, फुटपाथ और फर्श टूटे फूटे नहीं हैं। जल संरचनाओं में ठोस अपशिष्ट और नालों का पानी प्रवाहित नहीं हो रहा है। ठोस अपशिष्ट की जांच के लिए उचित प्रक्रिया और उपकरणों के साथ उचित व्यवस्था है और उसका पालन भी हो रहा है।
- **सामुदायिक और पब्लिक शौचालय :** इन्हें सभी जोन में रेंडम आधार पर यह देखने के लिए चयन करना होगा कि उनके टैंक और ड्रेनेज खुले नहीं हैं ओवर फ्लो नहीं हैं, और वे शौचालय नागरिकों के प्रयोग के लिए उचित हैं
- **सब्जी/फल/ मांस और मछली मार्केट** का भ्रमण यह सुनिश्चित करने के लिए करना होगा कि यहाँ निरंतर पैदा होने वाले कचरे का सुरक्षित और उचित प्रबंधन के साथ साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है।
- **बड़े रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, डिपो, एयर पोर्ट** आदि से लगे हुए विशाल क्षेत्रों आदि का भ्रमण यह सुनिश्चित करने के लिए करना होगा कि उनके आस-पास के क्षेत्रों में गंदगी और खुले में शौच नहीं किया जा रहा है।
- ऐसे स्थान जहाँ बड़ी मात्रा में कचरा पैदा होता है जैसे

होटल, शादीघर, साप्ताहिक सब्जी बाजार क्षेत्र,( इनमें से कोई एक)

(अधिक कचरा पैदा करने वालों में से हर जोन में एक रेंडम आधार पर चयन करें)

• **भाग 4 : नागरिक फीडबैक (नागरिकों से सीधे संपर्क और चर्चा करके, उन्हें फ़ोन करके, 1969, स्वच्छता एप/स्वच्छ मंच और स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 पोर्टल से संकलित किया जाएगा)** – इसके लिए सैम्पल साइज शहर की जनसंख्या का 0.1% या एक लाख से अधिक आबादी के शहर के लिए कम से कम 1000 फीडबैक आवश्यक हैं। एक लाख से कम आबादी के शहरों के लिए सैम्पल साइज कम से कम 250 नागरिकों के फीडबैक आवश्यक होंगे। कुछ विशिष्ट सूचकों की पुष्टि के लिए स्थानीय नागरिकों से चर्चा आवश्यक होगी। आंकड़ों के संग्रहण और पुष्टि के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया जा सकता है। फ़ोन नंबर का डाटा निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अगर निकाय के पास अपना कोई डाटा बेस नहीं है तो किसी तीसरे पक्ष/वेंडर के माध्यम से शहर का डाटा प्राप्त करके उपयोग किया जा सकता है।





## Cities with <1 Lakh Population

Cleanest City – Rank No.1  
Cleanest City – Rank No.2  
Cleanest City – Rank No.3

### Population wise Zonal (5) and National Ranking

50 K - 1 L

25 - 50 K

5 -25 K

## Cities with >1 Lakh Population

Cleanest City – Rank No.1  
Cleanest City – Rank No.2  
Cleanest City – Rank No.3

### Population wise National Ranking

1-3 L


3-10 L

>10 L

नोट :

- सभी पैरामीटर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की रैंकिंग अलग से की जाएगी
- कुल 62 छाबनियों (Cantonment Boards) को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है, इनकी रैंकिंग सूची अलग से तैयार की जाएगी।
- वे सभी निकाय जो दिसंबर 2017 तक अस्तित्व में आ गए थे, इस सर्वेक्षण में शामिल किये जायेंगे।

## मूल्यांकन बिन्दुओं के महत्व (Weightage) में परिवर्तन




- परिणामों और उनके स्थायित्व को लक्षित किया जायेगा
- स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रमाणीकरण, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, नागरिकों का फीडबैक और ऑन-ग्राउंड स्कूटिनी

‘सेवाओं के स्तर में वृद्धि’ महत्व/मानक वितरण (Weightage Distribution)


स्वच्छ सर्वेक्षण 2018

Total Marks: 1,400



स्वच्छ सर्वेक्षण 2019

Total Marks: 1,250




- कचरे का पृथक्करण, प्रोसेसिंग, स्थाई खुले में शौच से मुक्ति और नियमों को लागू करना



# भाग - 1

## सेवा स्तर प्रगति




**1,250 अंक / 5,000**



# 1

## संग्रहण एवं परिवहन



संकेतकों की कुल संख्या : 7

338 अंक / 1250 अंक



# 1.1

## घर-घर से कचरे को संग्रहण व्यवस्था के अंतर्गत कवर किये गए वार्डों का प्रतिशत

Marks  
45

### उद्देश्य

इस विषय के अंतर्गत यह जांचा/परखा जायेगा कि क्या आपके निकाय के पास घरों से कचरा संग्रहण के लिए व्यवस्थित सिस्टम उपलब्ध है। वार्डों के कवरेज से आशय सम्पूर्ण वार्ड, वार्ड में स्थित सभी आवासीय/व्यावसायिक स्थानों सहित है। अधिक स्पष्ट जानकारी के लिए कचरा मुक्त शहर के लिए स्टार रेटिंग (Star Rating of Garbage Free City) के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को देखें।

### सत्यापन के लिए आवश्यक बिंदु

- ऑनलाइन MIS: उपलब्ध आंकड़े और दिनांक 15 दिसंबर 2018 तक की प्रगति
- कर्मचारियों की तैनाती की वार्ड वार योजना / लॉग बुक कि कॉपी/ ऐसा कोई रजिस्टर जिसमें सितम्बर 2018 से आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों से कचरा संग्रहण व्यवस्था की सभी जानकारी दर्ज की जा रही हो। (नवम्बर-दिसंबर 18 के दस्तावेज आवश्यक हैं)
- अनुबंध की प्रति/ MoU/आधिकारिक पत्र और भुगतान दस्तावेज/ अगर यह सेवा आउटसोर्स की गयी है तो गतिविधि रिपोर्ट। (अनुबंध 31 अक्टूबर 2018 या इसके पूर्व हस्ताक्षरित होना चाहिए)
- कुल वाहनों की संख्या (गैर मोटर चालित वाहनों सहित) जो घरों से/ दरवाजों से कचरा संग्रहण व्यवस्था में लगे हुए हैं। इन वाहनों की कचरा वाहन की क्षमता और उनके द्वारा लगाये जाने वाले कुल फेरों (trip) की संख्या।

रैंकिंग प्रारूप	अंक
> 95% वार्ड कवर किये जाते हैं	45
80% -95% वार्ड कवर किये जाते हैं	35
60% -79% वार्ड कवर किये जाते हैं	25
40% -59% वार्ड कवर किये जाते हैं	15
<40% वार्ड कवर किये जाते हैं	0

# 1.2

उन वार्डों का प्रतिशत जिनमें कचरा उसके स्रोत पर ही पृथक्करण किया जा रहा है और उस स्थिति को डिस्पोजल साईट तक प्रक्रिया/निपटान तक बनाये रखा जा रहा हो.

अंक  
65

## उद्देश्य

इस विषय के अंतर्गत यह जांचा/परखा जायेगा कि क्या निकाय के पास कचरा संग्रहण के साथ उसके उसके उत्सर्जन के स्थान पर ही पृथक करने (गीला और सूखा कचरा) की व्यवस्था मौजूद है। और क्या इस संग्रह किये गए कचरे को उसके निपटान प्लांट/साईट अथवा मटेरियल रिकवरी केंद्र (Material Recovery Facilities) पहुँचने तक अलग ही रखा जाता है। डिस्पोजल के अंतर्गत कचरे को उसके अंतिम स्थान पर डालना शामिल किया जायेगा। वार्डों के कवरेज से आशय सम्पूर्ण वार्ड, वार्ड में स्थित सभी आवासीय/व्यावसायिक स्थानों सहित। अधिक स्पष्ट जानकारी के लिए कचरा मुक्त शहर के लिए स्टार रेटिंग (Star Rating of Garbage Free City) के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को देखें।

## सत्यापन के साधन :

- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ऑनलाइन MIS: उपलब्ध आंकड़े और दिनांक 15 दिसंबर 2018 तक की प्रगति
- कर्मचारियों की तैनाती की वार्ड वार योजना / लॉग बुक की कॉपी/ ऐसा कोई रजिस्टर जिसमें सितम्बर 2018 से आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों से कचरा संग्रहण व्यवस्था की सभी जानकारी दर्ज की जा रही हो। (नवम्बर-दिसंबर 18 के दस्तावेज आवश्यक हैं)
- अनुबंध की प्रति/ MoU/आधिकारिक पत्र और भुगतान दस्तावेज/ अगर यह सेवा आउटसोर्स की गयी है तो गतिविधि रिपोर्ट। (अनुबंध 31 अक्टूबर 2018 या इसके पूर्व हस्ताक्षरित होना चाहिए)
- कुल वाहनों की संख्या (गैर मोटर चालित वाहनों सहित) जिनमें गीला और सूखा कचरा अलग रखने की व्यवस्था है या गीला सूखा कचरे के लिए अलग कंटेनर उपलब्ध है। जो घरों से/ दरवाजों से गीला और सूखा कचरा अलग संग्रहण व्यवस्था में लगे हुए हैं। इन वाहनों की कचरा वाहन की क्षमता और उनके द्वारा लगाये जाने वाले कुल फेरों (trip) की संख्या।
- जनसँख्या के आधार पर उत्सर्जित होने वाले कुल गीला/सूखा कचरे की मात्रा अथवा निकाय के पास उपलब्ध वास्तविक आंकड़े।
- ट्रांसफर स्टेशन/ प्रोसेसिंग प्लांट/ मटेरियल रिकवरी केंद्र (centralized or decentralized) तक कचरा पहुँचाने की लॉग बुक जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके की कचरा प्राप्त हुआ और उसकी निपटान प्रक्रिया की गई।

रैंकिंग प्रारूप	अंक
> 95% वार्ड में प्रयुक्त	65
80% -95% वार्ड में प्रैक्टिस किया गया	45
60% -79% वार्ड में प्रैक्टिस किया गया	25
40% -59% वार्ड में प्रैक्टिस किया गया	15
<40% वार्ड में प्रयुक्त	0

# 1.3

वार्ड स्तर पर कचरा संग्रहण और परिवहन ,व्यावसायिक स्थानों पर खाली की गयी कचरा बिन्स की स्थिति ( कोई छूटना नहीं चाहिए ) ,कचरे के लिहाज से संवेदनशील स्थलों और स्वच्छता स्टाफ की सूचना संचार तकनीकी(ICT) आधारित मोनिटरिंग

अंक  
50

## उद्देश्य

इस विषय का उद्देश्य यह जांचना परखना है कि क्या निकाय के पास कचरा संग्रहण और परिवहन सिस्टम की क्षमता, स्टाफ की नियमितता, बदलाव की निरंतरता, कचरे के संवेदनशील स्थानों, और प्रमुख स्थानों की मॉनिटरिंग के लिए सूचना संचार तकनीकी आधारित सिस्टम उपलब्ध है। जिन शहरों की आबादी एक लाख से कम है वे अपनी मॉनिटरिंग मैनुअल सिस्टम (बिना ICT के भी) कर सकते हैं।

## सत्यापन के साधन

उक्त तीनों श्रेणियों में योग्यता पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि मासिक समीक्षा के दस्तावेजों को संधारित किया जाये।

- ऑनलाइन MIS : आंकड़े/15 दिसंबर 2018 तक की अद्यतन प्रगति
- संचालित किये जा रहे एप के स्क्रीन शॉट जिनसे स्पष्ट हो सके कि वे 30 अक्टूबर 2018 के पूर्व से निरंतर संचालित किये जा रहे हैं।
- उन दस्तावेजों की प्रति जिनसे तैनात (निकाय द्वारा स्वयं अथवा आउट सोर्स) किये गए वाहनों की संख्या की पुष्टि हो सके। उन वाहनों की संख्या और सूची जिनमें GPS/RFID की सुविधा उपलब्ध है।
- एक लाख से कम आबादी वाले शहरों को (जहाँ ICT आधारित मॉनिटरिंग नहीं है) मॉनिटरिंग के दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे जिनसे यह स्पष्ट हो सके वहाँ कचरा संग्रहण और परिवहन व्यवस्था उपलब्ध है।
- प्रत्येक वाहन के GPS/RFID log की एंट्री दस्तावेज और गतिविधि रिपोर्ट कि विगत दो माहों की प्रति।
- आम जनता के बीच निरंतर वेब साईट पेज का स्क्रीन शॉट
- सफाई कर्मियों उप्पस्थिति और उनका वेतन ICT आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से संलग्न होने का स्क्रीन शॉट अगर कर्मचारी आउट सोर्स किये गए हैं तो सम्बंधित संस्था उक्त साक्ष्य उपलब्ध कराएगी।
- GVPs आधारित CCTVs या कोई अन्य ICTआधारित मॉनिटरिंग सिस्टम के उपलब्ध और क्रियान्वयन से जुड़े साक्ष्य

रैंकिंग प्रारूप	अंक
आईसीटी आधारित संग्रह और परिवहन	20
आईसीटी आधारित जीवीपी निगरानी	20
स्वच्छता कर्मचारियों के लिए आईसीटी आधारितता	10

# 1.4

अनौपचारिक रूप से कचरा संग्रहण करने वाले संग्राहकों को स्थाई आजीविका के लिए स्वसहायता समूहों/सहकारी संस्थाओं/अशासकीय संगठनों से जोड़े जाने का प्रतिशत

अंक  
40

## उद्देश्य

इस विषय पर यह जांचा परखा जाएगा कि क्या निकाय द्वारा अनौपचारिक रूप से कचरा संग्रह करने वालों और शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उन्हें कचरा संग्रह और परिवहन, प्रसंस्करण, पृथक्करण, मटेरियल रिकवरी केंद्र, शौचालयों के निर्माण और रख रखाव, के साथ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्किल इंडिया औपचारिक रूप से जोड़ा गया है।

## सत्यापन के लिए आवश्यक बिंदु

- ऑनलाइन MIS : 15 दिसंबर 2018 तक के आंकड़े और अद्यतन प्रगति
- जमीनी आधार पर अनौपचारिक कचरा संग्राहकों की पहचान सर्वे का अध्ययन प्रतिवेदन, यह सर्वे एक वर्ष से एक वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए।
- अनौपचारिक कचरा संग्राहकों की सूची उन्हें जारी किये गए आई डी नंबर और भुगतान के रिकार्ड सहित।
- उन कचरा संग्राहकों की सूची जिन्हें अन्य दूसरे कार्यों से जोड़ा गया है।
- स्वसहायता समूहों/ सहकारी समितियों/ठेकेदारों/अशासकीय संगठनों आदि से किये गए अनुबंध की प्रति जिसमें इन कचरा संग्राहकों को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/स्किल इंडिया से जोड़े जाने का उल्लेख हो।

रैंकिंग प्रारूप	अंक
> 95% अनौपचारिक अपशिष्ट पिकर्स को एकीकृत किया गया	40
80-95% अनौपचारिक अपशिष्ट पिकर्स को एकीकृत किया गया	25
60-79% अनौपचारिक अपशिष्ट पिकर्स को एकीकृत किया गया	15
<60% (से कम) अनौपचारिक अपशिष्ट पिकर्स को एकीकृत किया गया	0

# 1.5

स्वच्छता कर्मियों को दिए जा रहे लाभ जो स्वच्छता कर्मियों तरल और ठोस अपशिष्ट के कार्यों में लगे हैं उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण जैसे यूनिफार्म ,फ्लोरोसेंट जेकेट ,दास्ताने ,रेन कोट ,गम बूट और मास्क आदि की व्यवस्था ) निकाय अथवा ठेकेदार , स्वसहायता समूह ,NGO ,निजी एजेंसी ,या अस्थाई कर्मियों आदि सभी के लिए ( सभी स्वच्छता कर्मियों को निकाय,शासकीय ,निजी ,अस्पतालों ,डिस्पेंसरी आदि में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता मासिक आधार पर श्रेष्ठ कर्मियों का चयन और प्रोत्साहन स्वच्छता कर्मियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था



## उद्देश्य

निकाय ठोस अपशिष्ट- 2016 के प्रावधानों के अनुसार उन सभी स्वच्छता कर्मियों के लिए जो ठोस अथवा तरल अपशिष्ट के संपर्क में रहकर काम करते हैं, उन्हें सभी सुरक्षा उपकरण/सुविधाएँ उपलब्ध कराना अनिवार्य है। (निकाय अथवा ठेकेदार, स्वसहायता समूह, NGO, निजी एजेंसी, या अस्थाई कर्मियों आदि सभी के लिए) ऐसे स्वच्छता कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना/ईएसआई/ स्वास्थ्य कार्ड जारी करके या प्रशिक्षण के माध्यम से लाभान्वित किया जा सकता है।

## सत्यापन के लिए आवश्यक बिंदु

- ऑनलाइन MIS : 15 दिसंबर 2018 तक के आंकड़े और अद्यतन प्रगति
- दस्तावेज जिसमें कुल स्टाफ (स्थाई/अनुबंधित/अस्थाई) का पूरा ब्यौरा हो, जो ठोस अथवा तरल अपशिष्ट में काम करते हैं।
- निजी सुरक्षा उपकरणों। साधनों के क्रय के लिए प्रक्रिया
- निजी सुरक्षा उपकरणों। साधनों के कर्मियों को दिए जाने की पुष्टि करने वाले दस्तावेज।
- कर्मियों द्वारा उक्त सुरक्षा उपकरण/साधनों के दैनिक प्रयोग में लाने की पुष्टि के लिए के फोटोग्राफ
- स्वास्थ्य लाभ योजनाओं से जुड़ाव होने से जुड़े दस्तावेज
- श्रेष्ठ कर्मियों को प्रोत्साहन दिए जाने की पुष्टि से जुड़े दस्तावेज। और अपनाई गयी प्रक्रिया को मंत्रालय से भी साझा करें।
- स्वच्छता कर्मियों के प्रशिक्षण में सहभागिता से जुड़े साक्ष्य।
- सभी स्वच्छता कर्मियों के नाम उनके मोबाइल नंबर सहित।

रैंकिंग प्रारूप	अंक
सभी स्वच्छता श्रमिकों को निजी सुरक्षा उपकरण	20
सभी स्वच्छता श्रमिकों के लिए चिकित्सा लाभ	15
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले श्रमिकों की मासिक मान्यता	10
प्रशिक्षण सभी स्वच्छता श्रमिकों को दिया गया	10

# 1.6

निकाय में शत प्रतिशत वार्ड स्वच्छ रात की सफाई सहित दिन में कम से कम दो बार सभी व्यावसायिक स्थानों की और एक बार आवासीय क्षेत्रों की सफाई हो, जानवरों का मल हटाना, कचरे के संवेदनशील क्षेत्रों में आया बदलाव, जल संरचनाओं में ठोस या तरल अपशिष्ट प्रवाहित न हो, झुग्गी क्षेत्र और पुराने शहरों का सौन्दर्यीकरण

अंक  
65

## उद्देश्य

इस विषय द्वारा यह जांचा परखा जायगा की क्या निकाय द्वारा सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में एक दिन के निश्चित अंतराल के बाद, सभी त्यौहारों, और रविवार के दिन भी (रात्रि कालीन सफाई, जानवरों का मल हटाने, और GVPs को हटाने सहित) सफाई होती है। झुगियों, और पुराने शहरी क्षेत्रों में वाल पेंटिंग, वृक्षारोपण, खुले नालों, नालियों को कवर करना, और जल भराव आदि से मुक्त।

## सत्यापन के आवश्यक बिंदु

- ऑनलाइन MIS : 15 दिसंबर 2018 तक आंकड़े और अद्यतन प्रगति
- सभी व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों, पार्क, टार सड़कों, GVPs, दूषित पानी के नाले, जल संरचनाएं, झुग्गी बस्ती और पुराने शहरी इलाकों की वार्डवार सूची।
- व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में दो बार (रात्रिकालीन सफाई सहित) और आवासीय क्षेत्रों में दिन में एक बार की जाने वाली सफाई, जल संरचनाओं, नालों, झुगियों और पुराने शहरों का सौन्दर्यीकरण, के साक्ष्य गतिविधि रजिस्टर, रोस्टर रिपोर्ट, और स्वच्छता स्टाफ की उपस्थिति के साक्ष्य।
- अगर सफाई का कार्य आउट सोर्स किया गया है तो अनुबंध दस्तावेज में "व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में दो बार (रात्रिकालीन सफाई सहित) और आवासीय क्षेत्रों में दिन में एक बार की जाने वाली सफाई" सम्बन्धी शर्त का उल्लेख होना आवश्यक है।
- कचरे के संवेदनशील क्षेत्रों में बदलाव, और झुग्गी बस्तियों और पुराने शहरों का सौन्दर्यीकरण के साक्ष्य

रैंकिंग प्रारूप	अंक
सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में प्रति दिन दो बार झाड़ू लगाई जाती है	20
प्रति दिन एक बार सभी आवासीय क्षेत्रों में झाड़ू लगाई जाती है	10
पशु का मल हटाया जाता है	5
जी.वी.पी विलोपन किया गया	10
नालियों व जलीय संरचनाओं में कोई ठोस अपशिष्ट का नहीं मिलना	10
झुग्गी बस्तियों और पुराने शहरों का सौन्दर्यीकरण	10
उपरोक्त छः का पालन किया गया	65

कवरेज के प्रतिशत के संदर्भ में आनुपातिक अंक, 100% कवरेज के लिए 100% अंक आवंटित किए जाएंगे

## 1.7 क्या शहर डस्टबिन से मुक्त है ? चौराहों/सड़कों के किनारे बड़े बिन्स जो अतिरिक्त कचरे के संग्रहण की व्यवस्था है ,उसे पूरी तरह से हटाना

अंक  
18

### उद्देश्य

इस विषय के माध्यम से यह जांचा परखा जाएगा जाएगा कि क्या निकाय अपने नागरिकों को घर से कचरा संग्रहण और सोर्स पर ही पृथक करने की सुविधा देने में सक्षम है अतः बड़ी बिन्स और सेकंडरी ट्रांसफर पॉइंट्स की शहर में अब आवश्यकता नहीं है।

कृपया नोट करें कि व्यावसायिक और पब्लिक स्थलों पर स्थापित 50-100 लीटर की छोटी बिन्स इस सूचक से बाहर हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें की उन बिन्स पर सूखा और गीला कचरा का निशान बराबर लगा हो। प्रत्येक दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास अपने स्वयं के दो बिन्स होना चाहिए, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना सुखा गीला कचरा इन्हीं बिन्स में डालें।


### सत्यापन के आवश्यक बिंदु -

- ऑनलाइन MIS : 15 दिसंबर 2018 तक के सभी आंकड़े और अद्यतन रिपोर्ट।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल के अनुसार आवश्यक कुल बिन्स की संख्या (उपयुक्त पेज संलग्न करें)
- शहर से बिन्स को हटाने के बाद अपनाई गई कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया
- सूखे और गीले कचरे के लिए स्थापित लिटर बिन्स के लगाए जाने का दस्तावेज, इन बिन्स की लोकेशन और संख्या दर्शाता हुआ मैप।
- सूची जिसमें घर से कचरा संग्रह की व्यवस्था के अंतर्गत कवर किये गए व्यावसायिक क्षेत्र जहाँ से कचरा सीधे प्रोसेसिंग/ निपटान के लिए भेजा जाता है, का विवरण हो और दुकानों में स्थापित डस्ट बिन्स की भी सूची संलग्न हो।
- बिन्स पर दर्शाई गए चित्र (स्टिकर्स/ लेबल्स) स्पष्ट दिखाई देना चाहिए
- जहाँ से बिन्स हटाई गई हैं वहाँ के पहले और बिन्स हटाने के बाद के चित्र साक्ष्य के रूप में।
- स्वच्छता कर्मियों की उपस्थिति, और भुगतान ICT आधारित मॉनिटरिंग से जुड़े होने का स्क्रीन शॉट। अगर स्वच्छता कर्मी आउट सोर्स किये गए हैं तो ठेकेदार को उक्त साक्ष्य देने होंगे।
- कचरे के संवेदनशील क्षेत्रों की CCTV द्वारा ICT आधारित मॉनिटरिंग किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य।

रैंकिंग प्रारूप	अंक
> 95% वार्ड में पालन	18
75-95% वार्ड में पालन	16
50-74% वार्ड में अनुपालन	14
<50% वार्ड में अनुपालन	0

# 2

## प्रसंस्करण एवं निष्पादन



संकेतकों की कुल संख्या : 8

375 अंक / 1250 अंक



## 2.1

केन्द्रीयकृत अथवा विकेंद्रीयकृत विधि से कुल संग्रहित कचरे में से प्रसंस्कृत कचरे का प्रतिशत

अंक  
60

### उद्देश्य

इस विषय के माध्यम से यह जांचा परखा जाएगा कि निकाय द्वारा अपने क्षेत्र में पैदा हुए गीले कचरे का केन्द्रीय अथवा विकेंद्रीयकृत प्रक्रिया से प्रबंधन हो रहा है अथवा नहीं। प्रयास यह होना चाहिए कि लैंड फिल साईट पर भेजे जाने वाले गीले कचरे की मात्रा कम से कम हो।

### सत्यापन के साधन :

- ऑनलाइन MIS : 15 दिसंबर 2018 तक प्राप्त आंकड़े और पोर्टल पर अद्यतन रिपोर्ट।
- निकाय में कुल प्रतिदिन पैदा होने वाला गीले कचरे की वास्तविक मात्रा/ DPR या 225 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन के अनुसार अनुमान लगायें
- शहर में विकेंद्रीयकृत प्रसंस्करण यूनिट की कुल संख्या – कचरे के प्रसंस्करण की कुल क्षमता **and** कुल संग्रहित कचरा **Vs** प्रतिदिन प्रसंस्कृत कचरे की मात्रा (रहवासी संघ और बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वाले सहित) – लॉग बुक से देखें
- शहर में केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण यूनिट के साक्ष्य। कुल संग्रहित कचरा **Vs** प्रतिदिन प्रसंस्कृत कचरे की मात्रा – लॉग बुक से देखें
- जो प्रसंस्करण यूनिट वर्तमान में संचालित हैं सिर्फ उन्हीं की प्रसंस्करण क्षमता को ही लिया जाये।
- कुल उत्सर्जित कचरा, लैंड फिल पपर भेजे गए गए कुल गीले कचरे की मात्रा – लॉग बुक से देखें
- घरों में स्थित प्रसंस्करण यूनिट के साक्ष्य देने होंगे – निकाय को उन घरों की जानकारी देना होगी।

रैंकिंग प्रारूप	रैंकिंग प्रारूप
>95% of the waste	60
80 – 95%	50
60 – 79%	40
40 – 59%	30
<40%	0

## 2.2

कुल एकत्रित सूखे कचरे (प्लास्टिक और घरेलू हानिकारक कचरे सहित) का प्रतिशत जिसे विकेंद्रीकृत या केंद्रीकृत प्रसंस्करण द्वारा पुनर्नवीनीकरण किया जाता है

अंक  
50

### उद्देश्य

इस विषय के माध्यम से यह परखा जाएगा की निकाय के पास केन्द्रीयकृत अथवा विकेंद्रीकृत व्यवस्था में सूखे कचरे का किस मात्रा में प्रबंधन किया जा रहा है। क्या शहर का सुखा कचरा रिसाइकल किया जा रहा है अथवा रियूज।

### सत्यापन के साधन :

- ऑनलाइन MIS : 15 दिसंबर 2018 तक प्राप्त आंकड़े और पोर्टल पर अद्यतन रिपोर्ट।
- प्रती व्यक्ति के अनुसार कुल पैदा होने वाले सूखे कचरे की मात्रा अथवा कुल पैदा होने वाले कचरे की वास्तविक मात्रा
- शहर में विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण यूनिट की कुल संख्या – कचरे के प्रसंस्करण की कुल क्षमता and कुल संगृहित कचरा Vs प्रतिदिन प्रसंस्कृत कचरे की मात्रा (रहवासी संघ और बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वाले सहित) – लॉग बुक से देखें
- शहर में केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण यूनिट के साक्ष्य। कुल संगृहित कचरा Vs प्रतिदिन प्रसंस्कृत कचरे की मात्रा – लॉग बुक से देखें
- जो प्रसंस्करण यूनिट वर्तमान में संचालित हैं सिर्फ उन्हीं की प्रसंस्करण क्षमता को ही लिया जाये।
- घरेलू नुकसानदायक कचरे और प्लास्टिक के निपटान के लिए उपलब्ध प्रक्रियाएं और सुविधाएँ
- घरेलू नुकसानदायक कचरे और प्लास्टिक को अलग से संगृहित किया जाए।

रैंकिंग प्रारूप	रैंकिंग प्रारूप
>95 of the waste	60
80 – 95%	50
60 – 79%	40
40 – 59%	30
x<40%	0

**उद्देश्य**

इस विषय के अंतर्गत यह देखा परखा जाएगा कि निकाय द्वारा केन्द्रीयकृत और विकेंद्रीयकृत व्यवस्था से निर्माण और ध्वंस कचरे (Construction and Demolition waste) का किस प्रकार प्रबंधन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्माण-ध्वंस कचरे का शहर में किस मात्रा में प्रयोग शहर में ही किया जा रहा है।

निकाय अनियमित निर्माण—ध्वंस सामग्री को डालने किस प्रकार मॉनिटर करता है? क्या निर्माण- ध्वंस सामग्री हेल्पलाइन अस्तित्व में है? निर्माण—ध्वंस सामग्री का प्रबंधन किस प्रकार किया जा रहा है ? निर्माण—ध्वंस सामग्री को खुले क्षेत्रों में अनियमित डालने पर क्या कोई जुर्माना नीति बनाई गयी है?

**सत्यापन के साधन :**

- ऑनलाइन MIS : 15 दिसंबर 2018 तक प्राप्त आंकड़े और पोर्टल पर अद्यतन रिपोर्ट।
- प्रतिदिन पैदा होने वाली निर्माण—ध्वंस सामग्री कचरे की औसत मात्रा – निकाय द्वारा इस सन्दर्भ में डाटा उपलब्ध कराया जाए।
- निर्माण—ध्वंस सामग्री कचरे से जुड़ी सेवाओं के लिए जारी की गई नागरिक अधिसूचना
- निर्माण—ध्वंस सामग्री के निपटान के लिए चलाई जा रही हेल्पलाइन ( संचालित स्थिति में ही), उन वाहनों की सूची जो निर्माण—ध्वंस सामग्री के परिवहन में उपयोग किये जा रहे हैं और खुले में निर्माण—ध्वंस सामग्री कचरा डालने पर किया जाने वाले फाइन सिस्टम की प्रक्रिया और अब तक संगृहित जुर्माने का ब्यौरा।
- अगर निकाय द्वारा निर्माण—ध्वंस सामग्री कचरे के लिए अनुबंध किया गया है तो उनके अनुबंध की प्रति और भुगतान की जानकारी।
- निकाय द्वारा अनुमोदित बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वालों (जो 300 टन प्रतिमाह से अधिक निर्माण—ध्वंस सामग्री कचरा पैदा करते हों) के लिए निर्माण की अनुमति देने से पहले निर्माण—ध्वंस सामग्री के प्रबंधन के लिए योजना का साक्ष्य।
- अगर बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वालों द्वारा यह काम किसी निजी एजेंसी को दिया गया है तो उनसे अनुबंध की प्रति और भुगतान के साक्ष्य।
- कम से कम 10-20% निर्माण—ध्वंस सामग्री कचरा शासकीय/ निकाय/ अथवा निकाय द्वारा अनुमोदित गैर संरचना आधारित कार्यों में प्रयोग करने सम्बन्धी अधिसूचना।
- निर्माण—ध्वंस सामग्री कचरे को कांक्रीट, मिट्टी, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, ईट और बोल्टर में अलग किया जाये।
- शहर में निर्माण—ध्वंस सामग्री कचरे के संग्रहण स्थानों की सूची – लॉग बुक में निर्माण—ध्वंस सामग्री कचरे के प्रबंधन के लिए नियमानुसार प्रविष्टियाँ होना चाहिए

रैंकिंग प्रारूप	रैंकिंग प्रारूप
>95 of the waste is managed	50
80 – 95%	35
60 – 79%	25
40 – 59%	15
<40%	0

## 2.4

## वर्तमान डंपिंग साइट्स का उपचार करना

अंक  
40

### उद्देश्य

इस विषय के अंतर्गत यह जांचा परखा जाएगा कि निकाय द्वारा प्रयोग किये जा रहे डंपिंग साइट्स को क्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीकों से प्रबंधित किया जा रहा है।

### सत्यापन के साधन :

- ऑनलाइन MIS : 15 दिसंबर 2018 तक प्राप्त आंकड़े और पोर्टल पर अद्यतन रिपोर्ट।
- मूल्यांकनकर्ता द्वारा DPR/ EOI/RFP/ अनुबंध की जांच करके स्टेटस, प्रगति और भुगतान सुनिश्चित की जा सकती है
- अगर डंप साईट को उपचार किया गया है या किया जा रहा है तो उनके छायाचित्र प्रस्तुत करें।
- अगर शहर में कोई लैंड फिल नहीं हैं तो कचरे के प्रबंधन का मॉडल अवश्य साझा करें।

रैंकिंग प्रारूप	रैंकिंग प्रारूप
Remediation work completed	40
Work commenced( at-least 10 % of the total waste	30
Work awarded/ Agreement signed	20
Tenders called ( more than 2 valid tenders)	10
No process started	0

## 2.5

### क्या शहर में सेनेटरी लैंड फिल है या लैंड फिल की आवश्यकता ही नहीं है – जीरो लैंड फिल

अंक  
50

#### उद्देश्य

इस बिंदु के अंतर्गत यह देखा जायेगा कि क्या निकाय की लैंड फिल साईट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत योजना और वैज्ञानिक दृष्टी से उचित है।

#### सत्यापन के साधन :

- ऑनलाइन MIS : 15 दिसंबर 2018 तक प्राप्त आंकड़े और पोर्टल पर अद्यतन रिपोर्ट।
- अगर लैंड फिल साईट वर्तमान में संचालित की जा रही है तो उसका फोटो दिनांक के साथ पुष्टि के लिए रखना होगा। या उसके वैज्ञानिक प्रबंधन के समर्थन में DPR अथवा कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
- लैंडफिल साईट पर डाले जाने वाले कचरे की मात्रा की पुष्टि के लिए लॉग बुक अथवा कोई अन्य दस्तावेज
- अगर लैंड फिल का निर्माण जारी है तो, उसे बनाने वाली एजेंसी से किया गया अनुबंध की प्रति प्रस्तुत की जाये, साथ ही निर्माण के समय के फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाएँ।
- अगर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तो अनुबंध की प्रति साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करें।
- अगर सिर्फ एजेंसी का चयन किया गया है तो निविदा की प्रति।

रैंकिंग प्रारूप	रैंकिंग प्रारूप
Sanitary landfill available and being used / Landfill not	50
Sanitary landfill under construction	40
Agreement for construction done but work not	25
Tenders called for construction of sanitary landfill site	15
Land is identified	5
No action taken	0

## 2.6

स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कुल कितना प्रतिशत भाग संपत्ति कर) ठोस अपशिष्ट /स्वच्छता ,(उपयोगकर्ता शुल्क ,कम्पोस्ट निर्माण ,सामुदायिक-पब्लिक शौचालयों और बिन्स पर विज्ञापन के अधिकार से कवर होता है ?दैनिक कर्मियों ,अनुबंधित और आउट सोर्स स्टाफ का वेतन) खाली पदों के विरुद्ध (इसमें शामिल किया जाये .

अंक

50

### उद्देश्य

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना

### सत्यापन के साधन :

- ऑनलाइन MIS : 15 दिसंबर 2018 तक प्राप्त आंकड़े और पोर्टल पर अद्यतन रिपोर्ट ।
- निकाय द्वारा संगृहीत संपत्ति कर, विशेष सब हेड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता राशि के अंतर्गत ।
- कुल परिवारों की संख्या और प्रत्येक पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का शुल्क ।
- निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कुल क्रियान्वयन लागत, जैसे वेतन, संग्रहण लागत, उपकरण और पूंजी लागत, परिवहन लागत और प्रसंस्करण लागत ।
- कम्पोस्ट की बिक्री और कचरे के प्रसंस्करण से प्राप्त कुल राजस्व ।

रैंकिंग प्रारूप	रैंकिंग प्रारूप
100% of the cost	50
80 – 95% of the cost	40
60 – 79% of the cost	40
40 – 59% of the cost	20
<40%	0

## 2.7

अधिक कचरा पैदा करने वाले जिनमें 100 किलोग्राम प्रतिदिन या इससे कम जो भी (राज्य अथवा शहर में अधिसूचित हो) शामिल हैं द्वारा उत्सर्जित गीले कचरे का प्रसंस्करण करते हैं .  
(Processing not outsourced to ULB)

अंक

50

### उद्देश्य

इस विषय के अंतर्गत यह जांचा और परखा जाएगा कि शहर में अधिक कचरा उत्सर्जित करने वाले अपने परिसरों में कम्पोस्टिंग कर रहे हैं या नहीं। इस प्रकार के सभी उपक्रम जो प्रतिदिन 100 किलोग्राम (या राज्य या निकाय कि अपनी अधिसूचना के अनुसार) से अधिक कचरा उत्सर्जित करेंगे उन्हें इस श्रेणी में रखा जाएगा। अगर इस इस कचरे का प्रसंस्करण निकाय द्वारा किया जाता है तो वे इस श्रेणी में अंक प्राप्त नहीं करेंगे।

### सत्यापन के साधन :

- ऑनलाइन MIS : 15 दिसंबर 2018 तक प्राप्त आंकड़े और पोर्टल पर अद्यतन रिपोर्ट।
- उन उपक्रमों की सूची जो निर्धारित मात्रा या अधिक कचरा उत्सर्जित कर रहे हैं।
- उस नोटिस अथवा पत्र की प्रति जिसमें न उपक्रमों को अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे का उसी परिसर/साईट पर ही प्रसंस्करण करने के लिए कहा गया हो।
- साईट पर ही प्रसंस्करण की छायाचित्र साक्ष्य के रूप में।
- अधिक कचरा उत्सर्जन करने वाले उपक्रमों की ओर से पत्र जिसमें उनके द्वारा अपनी साईट पर ही इस कचरे के प्रसंस्करण किए जाने पर सहमती अथवा अभिस्वीकृति दी हो।
- अगर उन उपक्रमों ने इसे आउट सोर्स किया है तो उस एजेंसी से अनुबंध की प्रति। ध्यान रखें इस कचरे का निपटान या प्रसंस्करण निकाय द्वारा नहीं किया जायेगा।
- अधिसूचना की प्रति जिसमें अधिक कचरा उत्सर्जित करने वाले इन उपक्रमों को सूचित किया गया हो।

रैंकिंग प्रारूप	रैंकिंग प्रारूप
>95% BWG practicing on-site processing	50
80-95 %	40
60-79%	30
40-59%	20
Less than 40%	0

## 2.8

### उन परिवारों का प्रतिशत जो अपने गीले कचरे को अपने घर पर ही प्रसंस्करण करते हैं .

अंक  
15

#### उद्देश्य

इस विषय पर यह जांचा और परखा जाएगा कि क्या शहर में घरों से निकलने वाले गीले कचरे को घरों में ही कम्पोस्ट बनाये जाने की प्रक्रिया की जाती है या नहीं। इस विषय को लक्षित करके एक सुचना शिक्षा संचार अभियान और सहयोग के साथ नागरिकों की सहायता के लिए एक अभियान संचालित किया जा सकता है, जिससे वे इस विषय पर जिम्मेदारी ले सकें।

#### सत्यापन के साधन :


- ऑनलाइन MIS : 15 दिसंबर 2018 तक प्राप्त आंकड़े और पोर्टल पर अद्यतन रिपोर्ट।
- शहर में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले कुल गीले कचरे की वास्तविक मात्रा/ DPR या 200 ग्राम प्रति व्यक्ति के मान से अनुमानित।
- कुल परिवारों की संख्या जो अपने घरों पर ही गीले कचरे का प्रसंस्करण कर रहे हैं।
- उन परिवारों के वार्ड अनुसार प्रमाण जो अपने घरों में ही गीले कचरे का प्रसंस्करण कर रहे हैं।
- उस कचरे की मात्रा जो प्रसंस्करण किया जा रहा है।
- निकाय को उन परिवारों की जानकारी देना होगी जो अपने घरों पर ही गीले कचरे का प्रसंस्करण कर रहे हैं।

रैंकिंग प्रारूप	रैंकिंग प्रारूप
>5% of the households	15
3-4%	10
2-3%	7
1-2%	4
<1%	0



# 3

## संवहनीय स्वच्छता



संकेतकों की कुल संख्या : 7

313 अंक / 1250 अंक

## 3.1 घरों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों / सीटी / पीटी का प्रतिशत जो सीवरेज, सेप्टिक टैंक + सोक पिट, द्विन-पिट सिस्टम इत्यादि जैसे बंद सिस्टम से जुड़े हुए हैं, (कोई खुली प्रणाली / कनेक्शन / फ्लो / डिस्चार्ज नहीं हो)

अंक  
70

**उद्देश्य :** यह सूचक यह पता लगाएगा कि क्या शहर में सीवरेज नेटवर्क या सेप्टिक टैंक का पर्याप्त कवरेज है।

### सत्यापन के साधन :

- ऑनलाइन एमआईएस: डेटा / प्रगति 15 दिसंबर, 2018 तक अपडेट की गई हो।
- घरों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / सीटी और पीटी का विवरण सीवरेज नेटवर्क में मैप किया गया हो या उनके पृथक सेप्टिक टैंक हों।
- लॉग बुक के साथ डी-स्लजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों का विवरण।
- प्रति दिन उपचारित सीवरेज विरुद्ध प्रतिदिन उपचार क्षमता का विवरण (एमएलडी में)
- एसटीपी का स्थान (सह-उपचार सुविधा के साथ) और शहर से दूरी
- शहर में सेप्टिक टैंक के वार्ड वार विवरण

रैंकिंग प्रारूप	अंक
> 95% परिवार / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / सीटी और पीटी हैं सीवरेज सिस्टम से जुड़े या सेप्टिक टैंक हैं	70
80-94% घर / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / सीटी और पीटी	50
55-79% घर / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / सीटी और पीटी	30
40 - 54% परिवार / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / सीटी और पीटी	10
<40% परिवार / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / सीटी और पीटी या कोई डेटा उपलब्ध नहीं है	0

## 3.2

घरेलू / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों / सीटी / पीटी से उत्पन्न फिकल कीचड़ का प्रतिशत; जिसे एफएसटीपी / एसटीपी द्वारा उपचारित किया जाता है - फिकल कीचड़ के वैज्ञानिक प्रसंस्करण द्वारा

अंक  
48

**उद्देश्य :** यह सूचक यह पता लगाएगा कि शहर में फिकल (कीचड़) के लिए पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधा है या नहीं।

**सत्यापन के साधन :**

- ऑनलाइन एमआईएस: डेटा / प्रगति 15 दिसंबर, 2018 तक अपडेट की गई
- शहर में कार्यशील / कार्यात्मक एसटीपी / एफएसटीपी का विवरण
- घरों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / सीटी और पीटी के विवरण नामित डी-स्लजिंग ऑपरेटर
- लॉग बुक के साथ डी-स्लजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों का विवरण
- प्रतिदिन उपचारित हो रहे सीवेज (एमएलडी में) विरुद्ध प्रतिदिन उपचारित किये जाने की क्षमता के बारे में विवरण
- एसटीपी का स्थान (सह-उपचार सुविधा के साथ) और शहर से दूरी
- शहर में सेप्टिक टैंक का विवरण
- एफएसटीपी बनाम वास्तविक उपचार विवरण की क्षमता

रैंकिंग प्रारूप	अंक
> 95% परिवार / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / सीटी और पीटी हैं सीवेज सिस्टम से जुड़े या सेप्टिक टैंक हैं	48
80-94% घर / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / सीटी और पीटी	36
55-79% घर / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / सीटी और पीटी 30	24
40 - 54% परिवार / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / सीटी और पीटी 10	12
<40% परिवार / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / सीटी और पीटी या कोई डेटा उपलब्ध नहीं है	0

### 3.3

## आई.एच.एच.एल. - पूर्ण शौचालयों का प्रतिशत (केवल एसबीएम-शहरी के तहत) जहाँ स्रोत पर पानी उपलब्ध है ?

अंक  
45

**उद्देश्य :** शौचालय का उपयोग करने के लिए किसी भी घर के लिए, पानी की आपूर्ति न्यूनतम आवश्यकता है। यूएलबी को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि शौचालय वाले प्रत्येक घर में कार्यात्मक जल कनेक्शन होना चाहिए ताकि लोगों को खुले में शौच के लिए न जाएँ। यह ओडीएफ स्थिति को प्राप्त करने और बनाए रखने में भी मदद करेगा।

#### सत्यापन के साधन :

- ऑनलाइन एमआईएस: डेटा / प्रगति 15 दिसंबर, 2018 तक अपडेट की गई
- यूएलबी को निम्नलिखित दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रदान करना चाहिए :
  - एसबीएम-शहरी के तहत निर्मित आई.एच.एच.एल. की सूची
  - कार्यात्मक जल कनेक्शन / या किसी अन्य स्रोत वाले परिवारों की सूची

रैंकिंग प्रारूप	अंक
> आईएचएचएल का 95%	45
80 - 95%	35
60 - 79%	25
40 - 59%	15
40% से कम	10

## 3.4

क्या आपके शहर में स्थित सभी सार्वजनिक शौचालय गूगल मैप पर 'एसबीएम (स्वच्छ) शौचालय' के रूप में अपलोड किए गए हैं?

अंक  
60

**उद्देश्य :** सार्वजनिक शौचालय में आसान पहुंच सुनिश्चित किये जाने से सार्वजनिक शौचालय के उपयोग में सुधार होगा। गूगल मैप पर 'एसबीएम (स्वच्छ) शौचालय' को खोज प्राप्त कर प्लोटिंग आबादी को भी लाभ मिलेगा।

**सत्यापन के साधन :**

- एम.ओ.एच.यू.ए. (MoHUA) डैश बोर्ड से सत्यापित किया जाना चाहिए
- 30 अक्टूबर, 2018 तक एम.ओ.एच.यू.ए. (MoHUA) के साथ शौचालय डेटा साझा किया जाना चाहिए

रैंकिंग प्रारूप	अंक
हाँ	60
नहीं	0

## 3.5

सीटी / पीटी का प्रतिशत जो प्रातः 4.00 से रात्रि 10.00 बजे के बीच खुले रहते हैं ?

अंक  
30

**उद्देश्य :** सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय तक आसान पहुंच सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय के उपयोग में सुधार करेगी। गूगल मैप पर 'एसबीएम (स्वच्छ) शौचालय' को खोज / प्राप्त कर फ्लोटिंग आबादी को भी लाभ मिलेगा। ।

**सत्यापन के साधन :**

- यूएलबी को निम्नलिखित दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रदान करना चाहिए:
  - MoHUA डैश बोर्ड से सत्यापित किया जाना चाहिए
  - 30 अक्टूबर, 2018 तक एमओएचयू के साथ शौचालय डेटा साझा किया जाना चाहिए

रैंकिंग प्रारूप	अंक
>95% CT/PTs	30
80 – 95% CT/PTs	20
70 – 84% CT/PTs	10
55 – 69% CT/PTs	5
<55% % CT/PTs	0

## 3.6

क्या शहर में स्थित निर्माण स्थलों (25 श्रमिक या अधिक वाले ) पर शौचालयों की सुविधा व वहां उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के सुरक्षित निपटान की सुविधाएं सुनिश्चित की गयी हैं ?

अंक

30

**उद्देश्य :** यह सूचक यह आकलन करेगा कि क्या शहर ने गतिशील जनसँख्या / निर्माण श्रमिकों को शौचालय सुविधाओं के प्रावधान सुनिश्चित किए हैं। श्रमिकों के लिए निर्माण स्थलों पर मोबाइल शौचालयों का प्रावधान किया जा सकता है ।

**सत्यापन के साधन :**

- ऑनलाइन एमआईएस: डेटा / प्रगति 15 दिसंबर, 2018 तक अपडेट की गई
- निर्माण / पुनः निर्माण के लिए जारी अनुमति की प्रति
- शौचालय / मोबाइल शौचालयों के प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए तंत्र
- प्रत्येक निर्माण स्थल के लिए नामित चित्रों के साथ शौचालयों की सूची

रैंकिंग प्रारूप	अंक
> शौचालय प्रावधान के साथ 95% निर्माण स्थल	30
शौचालय प्रावधान के साथ 80 - 95%	20
शौचालय प्रावधान के साथ 60 - 79%	15
60% से कम	0

## 3.7

सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय और एफ.एस.टी.पी. के संचालन व रखरखाव लागत का कितना प्रतिशत राजस्व धाराओं जैसे कि; संपत्ति कर (स्वच्छता विशिष्ट), उपयोगकर्ता शुल्क, आदि के माध्यम से वसूल किया जा रहा है।

अंक  
30

**उद्देश्य :** यह संकेतक फीकल स्लज व सेप्टेज प्रबंधन व इस हेतु उपलब्ध बुनियादी ढाँचे की स्थिरता का आकलन करेगा।

**सत्यापन के साधन :**


- ऑनलाइन एमआईएस: डेटा / प्रगति 15 दिसंबर, 2018 तक अपडेट की गई
- शहर में क्रियाशील सीटी और पीटी, एफएसटीपी / एसटीपी का विवरण।
- प्रदान की गई सेवाओं के लिए एकत्रित उपयोगकर्ता शुल्क की प्रति।
- फीकल स्लज प्रबंधन व उपलब्ध संरचना के संचालन और रखरखाव में शामिल कुल लागत
- डी-स्लजिंग ऑपरेटरों का विवरण (नाम, वाहन और फोन नंबर के साथ) उन के साथ मैप किये गए घर, जिनके घर में सेप्टिक टैंक है या सीवेज नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं।

रैंकिंग प्रारूप	अंक
लागत का 100 %	30
80-99%	20
60 - 79%	10
40 – 59%	5
< 40%	0



# 4

## आई.ई.सी एवं व्यवहार परिवर्तन



संकेतकों की कुल संख्या : 3

63 अंक / 1250 अंक

**उद्देश्य :** सभी शहरों से यह अपेक्षित होगा कि वे सरकार / विभाग / निकाय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 हेतु शहरी जन-मानस को प्रेरित करने के उद्देश्य से निर्मित किये गए रचनात्मक डिजाईन / क्रिएटिवस आदि को सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों / सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन / मेट्रो स्टेशनों, बस स्टेशनों, हवाई अड्डे (टैक्सी स्टैंड / ऑटो रिक्शा स्टैंड बस स्टेशन रेलवे स्टेशन / हवाई अड्डे आदि पर प्रदर्शित करें।

**सत्यापन के साधन :**

- स्वच्छ मंच पर अपलोड किए गए निकाय के नेतृत्व वाले अभियानों का विवरण
- स्वच्छ मंच पर अपलोड किए गए नागरिक नेतृत्व अभियानों का विवरण।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 अंतर्गत आयोजित अभियानों के फोटोग्राफिक साक्ष्य
- सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है या नहीं
- सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसार के साक्ष्य
- सहयोगी संगठनों / नागरिकों की सूची
- नागरिकों द्वारा प्रतिबद्ध किए गए घंटों की संख्या
- किसी भी समय न्यूनतम 100 नागरिकों को भाग लेना चाहिए

रैंकिंग प्रारूप	अंक
हाँ, सभी 4 के लिए	23
हाँ, किसी भी 3 के लिए	20
हाँ, किसी भी 2 के लिए	17
हाँ, किसी भी 1 के लिए	12

## 4.2. सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों के बीच प्रसारित करने के लिए निकाय / नागरिकों द्वारा बनाई गई लघु फिल्म / ऑडियो जिंगल

अंक  
20

### उद्देश्य :

इस पैरामीटर का उद्देश्य क्षेत्र में व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को निर्बाध बनाए रखने हेतु स्वच्छ सर्वेक्षण – 2019 के लिए स्थानीय भाषा में कैम्पेन / अभियान / सामग्री के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है। जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन के माध्यम से फिल्म / ऑडियो भी शॉट / रिकॉर्ड किया जा सकता है। नागरिकों ऐसे वीडियो / जिंगल्स बनाने में और स्वच्छ सर्वेक्षण -2019 में अपने यूएलबी का समर्थन करें।

### सत्यापन के साधन :

- ऐसे वीडियो / ऑडियो जिंगल्स की थीम वार सूची।
- स्वच्छ मंच और सोशल मीडिया पर अपलोड की स्थिति।
- स्वच्छ मंच और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसार के साक्ष्य - तिथि के साथ
- कवरेज के साक्ष्य

रैंकिंग प्रारूप	अंक
हां, सितंबर 2018 से परिसंचरण में	20
हां, अक्टूबर 2018 से परिसंचरण में	18
हां, नवंबर 2018 से परिसंचरण में	16
हां, दिसंबर 2018 से परिसंचरण में	14

### उद्देश्य :

इस पैरामीटर का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन को जन-आंदोलन बनाने के लिए नागरिक नेतृत्व वाले ऐसे अभियान बनाने के लिए यूएलबी को प्रेरित करना है जिसमें किसी भी समय न्यूनतम 100 नागरिकों द्वारा भाग लिया जाए ।


### सत्यापन के साधन :

- स्वच्छ मंच पर अपलोड किए गए नागरिक नेतृत्व अभियान का विवरण।
- आयोजित अभियानों के सचित्र साक्ष्य
- सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है या नहीं के साक्ष्य
- सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसार के साक्ष्य
- कोई प्रभाव मूल्यांकन कराया गया हो, के साक्ष्य
- सहयोगी संगठनों / नागरिकों की सूची
- जनसंख्या के प्रतिशत विरुद्ध प्रतिबद्ध घंटे की संख्या

रैंकिंग प्रारूप	अंक
हां, अक्टूबर से - दिसंबर 2018	20
हां, नवंबर से दिसंबर 2018	15
हां, केवल दिसंबर 2018 में	10

# 5

## क्षमता वर्धन



संकेतकों की कुल संख्या : 2

37 अंक / 1250 अंक

## 5.1

ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म - निकाय स्तर पर आयुक्त / कार्यकारी अधिकारी के नीचे कितने % एस.बी.एम. कर्मचारी / अन्य स्टाफ द्वारा एसबीएम पोर्टल पर ई-कोर्स प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं

अंक  
18

### उद्देश्य :

यह पैरामीटर निकाय द्वारा किए गए क्षमता निर्माण प्रयासों पर निकाय के कर्मचारियों का आकलन करता है। कर्मचारियों को पोर्टल पर उपलब्ध वीडियो ट्यूटोरियल से पूर्ण करने होते हैं, जिसके बाद प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रश्नों के एक सेट अनुसार उत्तर देना होता है।

### सत्यापन के साधन :

- एम.ओ.एच.यू.ए. के पास उपलब्ध आंकड़ों से निर्धारक द्वारा सत्यापित किए जाने वाले ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले कर्मचारियों की पाठ्यक्रमवार सूची
- कर्मचारियों की सूची - आयुक्त / कार्यकारी अधिकारी के नीचे सभी एसबीएम कर्मचारी / कर्मचारी

### \* निम्नलिखित 5 पाठ्यक्रम अनिवार्य होंगे-

1. धार्मिक स्थानों में आईईसी
2. स्वच्छता क्षेत्र में आजीविका मुख्यधारा
3. अपशिष्ट का पृथक्करण
4. खाद करने के लिए अपशिष्ट
5. शहर स्तर पर एफएसएसएम की योजना

रैंकिंग प्रारूप	अंक
100% कर्मचारियों ने कम से कम 20 पाठ्यक्रम पूरा किए *	19
75 - 99% कर्मचारियों ने कम से कम 20 पाठ्यक्रम पूरा किए *	14
50 - 79% कर्मचारियों ने कम से कम 20 पाठ्यक्रम पूरा किए *	09
<50% कर्मचारियों ने कम से कम 20 पाठ्यक्रम पूरा किए *	04

\*\*नोट: मौजूदा प्रमाणपत्र मान्य होंगे।

### उद्देश्य :

यह पैरामीटर आकलन करता है कि क्या निकाय के अधिकारियों द्वारा एस.बी.एम (शहरी) के अंतर्गत मंत्रालय, राष्ट्रीय शहरी मामलों, राज्य द्वारा आयोजित या यूएलबी द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में भाग लिया है या नहीं


### सत्यापन के साधन :

- आयोजित कार्यशालाओं के सम्बन्ध में :
  - एजेंडा / मिनट की प्रतिलिपि
  - उपस्थिति रिकॉर्ड की प्रतिलिपि (मुख्य अतिथि के विवरण के साथ)
  - सचित्र सबूत या समाचार पत्र कवरेज
  - फोन नंबरों के साथ कर्मचारियों की सूची - सेनेटरी और इंजीनियरिंग स्टाफ

रैंकिंग प्रारूप	अंक
> 95% कर्मचारियों ने कम से कम 3 कार्यशालाओं में भाग लिया	18
75 - 95% कर्मचारियों ने कम से कम 3 कार्यशालाओं में भाग लिया	14
50 - 79% कर्मचारियों ने कम से कम 3 कार्यशालाओं में भाग लिया	09
<50% कर्मचारियों ने कम से कम 3 कार्यशालाओं में भाग लिया	04

# 6

## बाई-लॉज़ / नियम



संकेतकों की कुल संख्या : 4

62 अंक / 1250 अंक



## 6.1

क्या निकाय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016 या राज्य सरकार द्वारा लागू किसी अन्य नियम को अधिसूचित व लागू किया है ?

अंक  
15

### उद्देश्य :

यह संकेतक आकलन करेगा कि निकाय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016 या राज्य सरकार द्वारा लागू किसी अन्य नियम को अधिसूचित व लागू किया है या नहीं

### सत्यापन के साधन :

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अधिसूचना की प्रति
- प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए नागरिकों को जारी चालान / जुर्माना रसीदों की प्रति।
- शहर में प्लास्टिक के उपयोग की आवधिक जांच के लिए तंत्र को बताते हुए साक्ष्य

रैंकिंग प्रारूप	अंक
अधिसूचित और लागू	17
अधिसूचित लेकिन लागू नहीं किया गया	12
न तो अधिसूचित और न ही लागू	0

## 6.2

क्या निकाय द्वारा खुले में कूड़ा फेंकने / खुले में शौच / खुले में पेशाब न करने के लिए नियामक और दंड प्रावधान स्थापित किये गए हैं ?

अंक  
15

### उद्देश्य :

यह संकेतक निकाय द्वारा खुले में कूड़ा फेंकने / खुले में शौच / खुले में पेशाब न करने के लिए नियामक और दंड प्रावधानों व उपायों का आकलन करता है।

### सत्यापन के साधन :

- शहर में काटे गए चालानों की न्यूनतम संख्या शहर में स्थित ओडी, लिटर और मूत्र स्पॉट की संख्या से कम नहीं होना चाहिए।
- ओडी, लिटर और मूत्र स्पॉट की सूची। यह स्वतंत्र अवलोकन के माध्यम से स्थापित किया जाएगा
- खुले में कचरा न फेंके जाने सम्बन्धी अधिसूचना की प्रति
- स्थलीय अर्थदंड सम्बन्धी अधिसूचना जारी किये जाने के बाद एकत्रित किये गए जुर्मानों / अर्थदंडों की प्रति
- एकत्रित किये गए अर्थदंड चालान / रसीद किताबों की प्रति

रैंकिंग प्रारूप	अंक
अधिसूचित और लागू	15
अधिसूचित लेकिन लागू नहीं किया गया	10
न तो अधिसूचित और न ही लागू	0

## 6.3

क्या निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016 या राज्य सरकार द्वारा लागू किसी अन्य नियम को अधिसूचित किया है ?

अंक  
15

### उद्देश्य :

यह संकेतक आकलन करेगा कि निकाय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016 या राज्य सरकार द्वारा लागू किसी अन्य नियम को अधिसूचित किया है या नहीं ? तथा क्या शहर में नियम लागू किए जा रहे हैं?

### सत्यापन के साधन :

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अधिसूचना की प्रति
- एस.डब्ल्यू.एम. 2016 के अनुपालन को लागू करने के लिए नागरिकों को जारी चालान / जुर्माना रसीदों की प्रति नियम।
- शहर में एस.डब्ल्यू.एम. नियमों के अनुपालन की आवधिक जांच के लिए तंत्र को बताते हुए साक्ष्य

रैंकिंग प्रारूप	अंक
अधिसूचित और लागू	15
अधिसूचित लेकिन लागू नहीं किया गया	10
न तो अधिसूचित और न ही लागू	0

**उद्देश्य :**

यह संकेतक आकलन करेगा कि क्या निकाय द्वारा अपशिष्ट उत्पादक से 'उपयोगकर्ता शुल्क' सम्बन्धी अधिसूचना जारी और लागू की गयी है ?


**सत्यापन के साधन :**

- उपयोगकर्ता शुल्क की अधिसूचना की प्रति
- उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के लिए अपशिष्ट जनरेटर को जारी चालान / रसीदों की प्रति

रैंकिंग प्रारूप	अंक
अधिसूचित और लागू	15
अधिसूचित लेकिन लागू नहीं किया गया	10
न तो अधिसूचित और न ही लागू	0

# 7

## नवाचार



संकेतकों की कुल संख्या : 2  
62 अंक / 1250 अंक

# 7.1

## यू.एल.बी. द्वारा प्रस्तुत परियोजना की गुणवत्ता आधारित - अपशिष्ट प्रबंधन, व्यवहार परिवर्तन या ओ.डी.एफ़. स्थिरता आधारित क्षेत्रों में "अभिनव और सर्वोत्तम प्रथाएं"

अंक  
22

### उद्देश्य :

निकाय निम्नलिखित श्रेणियों में से सन्दर्भ ले सकते हैं। हालांकि, नवाचार क्षेत्र केवल निम्नलिखित श्रेणी तक ही सीमित नहीं हैं -

- संवहनीय समाधान
- सरकारी निजी कंपनी भागीदारी
- भारत सरकार के अन्य प्रमुख मिशनों के साथ समन्वय
- आई.ई.सी. और व्यवहार परिवर्तन
- सामुदायिक सहभागिता
- प्रसंस्करण पश्चात सह-उत्पादों की बिक्री
- मजबूत फीकल स्लज प्रबंधन प्रणाली
- उपयोगकर्ता के अनुकूल सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय

### श्रेणी 1: यू.एल.बी. (नगरीय निकाय)

रैंकिंग प्रारूप	अंक
कार्यान्वयन	8
नवीनता (क्या आपका विचार मूल या अद्वितीय है?)	8
अनुमापकता	8
वित्तीय स्थिरता	8
प्रभाव	8

• सभी निकायों से अनुरोध है कि उपर्युक्त श्रेणियों में फोटो के साथ एक प्रतिवेदन / परियोजना (अधिकतम 5 पेज) जमा करें। व्यापक दस्तावेज और फोटोग्राफ्स आपके शहर के लिए एक मजबूत आधार बना देगा।

• 1 जनवरी 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच पेश की गई परियोजनाओं / प्रतिवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा।

## 7.2 यू.एल.बी. द्वारा प्रस्तुत नागरिक नेतृत्व परियोजना की गुणवत्ता आधारित - अपशिष्ट प्रबंधन, व्यवहार परिवर्तन या ओ.डी.एफ़. स्थिरता आधारित क्षेत्रों में "अभिनव और सर्वोत्तम प्रथाएं"

अंक  
22

### उद्देश्य :

नागरिक निम्नलिखित श्रेणियों में से सन्दर्भ ले सकते हैं। हालांकि, नवाचार क्षेत्र केवल निम्नलिखित श्रेणी तक ही सीमित नहीं हैं –

- संवहनीय समाधान
- सरकारी निजी कंपनी भागीदारी
- भारत सरकार के अन्य प्रमुख मिशनों के साथ समन्वय
- आई.ई.सी. और व्यवहार परिवर्तन
- सामुदायिक सहभागिता
- प्रसंस्करण पश्चात सह-उत्पादों की बिक्री
- मजबूत फीकल स्लज प्रबंधन प्रणाली
- उपयोगकर्ता के अनुकूल सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय

### श्रेणी 2: नागरिक

रैंकिंग प्रारूप	अंक
कार्यान्वयन	6
नवीनता (क्या आपका विचार मूल या अद्वितीय है?)	6
अनुमापकता	5
प्रभाव	5

- सभी निकायों से अनुरोध है कि उपर्युक्त श्रेणियों में फोटो के साथ एक प्रतिवेदन / परियोजना (अधिकतम 5 पेज) जमा करें। व्यापक दस्तावेज और फोटोग्राफ्स आपके शहर के लिए एक मजबूत आधार बना देगा।
- 1 जनवरी 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच पेश की गई परियोजनाओं / प्रतिवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा।

# नवाचारों के लिए मूल्यांकन मानदंड

## 1. कार्यान्वयन:

- स्वच्छ सर्वेक्षण-201 9 की आरंभ तिथि से कम से कम 3 महीने पहले नवाचार लागू किया जाना चाहिए था।
- नवाचार आसानी से कार्यान्वित किया जाना चाहिए (यानी आर्थिक होना चाहिए - सीमित पूंजी और ओपेक्स / जनशक्ति आवश्यक होना चाहिए / किसी भी पूर्व शर्त मौजूदा और व्यावहारिक होना चाहिए)

## 2. नवीनता:

- नवाचार एक तरह का समाधान होना चाहिए
- सटीक उसी नवाचार / सर्वोत्तम अभ्यास को भारत में कहीं और लागू नहीं किया जाना चाहिए था
- नवाचार का एक हिस्सा कहीं और लागू किया जा सकता था और फिर शहर की आवश्यकता के संदर्भ में

## 3. अनुमापकता:

- शहर के अन्य हिस्सों में नवाचार की स्केलेबिलिटी दिखाने के साक्ष्य होना चाहिए (यानी नवाचार के आधार पर ऐसे समाधान / अपेक्षित जनशक्ति / पर्याप्त कैपेक्स और ओपेक्स / साझेदार पारिस्थितिक तंत्र / आदि के लिए मौजूदा मांग होनी चाहिए)

## 4. वित्तीय स्थिरता:

- परियोजना के ओपेक्स मौजूदा उपलब्ध वित्त / राजस्व धारा द्वारा कवर किया जाना चाहिए


## 5. प्रभाव:

- परियोजना को प्रारंभिक परियोजना योजना के अनुसार अनुमानित प्रभाव प्राप्त करना चाहिए था (शहर को मात्रात्मक डेटा / समाचार पत्र कवरेज / नागरिक प्रतिक्रिया आदि के माध्यम से इस प्रभाव का सबूत दिखाना चाहिए)
- टिकाऊ प्रभाव का प्रदर्शन करने वाले साक्ष्य (यानी नवाचार को शहर पर दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम होना चाहिए)

**ध्यान दें:** 5 पैरामीटर ऊपर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यूएलबी विभिन्न मानकों के तहत अंक खो सकता / प्राप्त कर सकता है।



# भाग - 1(A) सेवा स्तर प्रगति का स्वतंत्र अवलोकन



**1,250 अंक / 5,000**

नीचे दावा की गई प्रगति को प्रमाणित करने के लिए 'सेवा स्तर प्रगति', निर्धारक नागरिक बुनियादी ढांचे / आईसीटी आधारित हस्तक्षेपों के क्षेत्रीय जांच के साथ-साथ नागरिकों / निवासियों / दुकानदारों के साथ चेक करेंगे।

सैंपल / नमूना विफलता के कारण नकारात्मक अंकन, नीचे दी गई तालिका से संदर्भित किया जा सकता है ..

नोट: संकेतक संख्या 3.7, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 स्वतंत्र सत्यापन के दायरे से बाहर होंगे

## जनसंख्या के नमूने एकत्र किए जाने के लिए

मूल्यांकन क्षेत्र	जनसंख्या			
	< 1 Lakh	1-3 Lakh	3-10 Lakh	>10 Lakh
लागू संकेतक के लिए नमूना गणना या वास्तविक संख्या (जो भी कम हो)	20	32	40	48

### स्वतंत्र प्रमाणीकरण - 'सेवा स्तर प्रगति' पर प्रभाव का दावा किया गया है

**चरण -1:** नमूने के% असफल होने से 'सेवा स्तर प्रगति' के तहत दावा किए गए अंकों से कटौती किए गए अंकों का एक ही% होगा = समायोजित अंक

**चरण -2:** नकारात्मक अंकन: 20% से नमूने की विफलता के कारण, निम्नलिखित तालिका के अनुसार 'अंतिम अंक' की गणना करने के लिए आगे नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा।


नमूना विफलता (%)	कुल अंकों पर नकारात्मक अंकन का प्रतिशत दावा किया गया है कि 'समायोजित अंक' से कटौती की जाएगी
<20%	0
20% - 49%	5
50% - 74%	10
75% - 99%	15
100%	20

#### उदाहरण :

सूचक क्र.	कुल अंक	अंक दावा किया	% नमूने असफल रहे	कटौती के अंक	समायोजित अंक	नकारात्मक अंकन का प्रतिशत	नाकारात्मक अंक	अंतिम कुल प्राप्त अंक
1.1	45	35	20%	7.0	28.0	5%	1.4	26.6
	45	35	15%	5.3	29.8	0%	0	29.8
	45	35	50%	19.3	15.8	10%	1.6	14.2

# भाग - 2

## प्रमाणीकरण



1,250 अंक / 5,000

# 2.1

कचरा मुक्त शहर - 3, 5, या 7 स्टार के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत शहर प्रमाणित है? या 4 स्टार घोषित किया?

अंक

1000

### उद्देश्य :

यह संकेतक स्टार रेटिंग पर शहर का आकलन करेगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि रैंकिंग की योजना के तहत केवल 3, 4, 5 और 7 स्टार रेटिंग लागू होगी।

### सत्यापन के साधन :

- इस मूल्यांकन के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष एजेंसी की पोर्टल / आकलन रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।
- 4 स्टार घोषणा के लिए - राज्य से पोर्टल / आधिकारिक संचार का उल्लेख किया जाएगा।

रैंकिंग प्रारूप	अंक
विफलता के बिना प्रमाणित 7 स्टार	1000
विफलता के साथ प्रमाणित 7 स्टार	900
विफलता के बिना प्रमाणित 5 स्टार	800
विफलता के साथ प्रमाणित 5 स्टार	700
4 स्टार घोषित	600
बिना विफलता के प्रमाणित 3 स्टार	500
विफलता के साथ प्रमाणित 3 स्टार	450
2 स्टार घोषित	350
1 स्टार घोषित	200

**उद्देश्य :**

शहरों को ओपन डेफकेशन फ्री बनने के लिए प्रोत्साहित करने और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, यह सूचक यूडीएफ, ओडीएफ + और ओडीएफ ++ प्रोटोकॉल पर यूएलबी का आकलन करेगा ।


**सत्यापन के साधन :**

ओडीएफ / ओडीएफ + / ओडीएफ ++ तीसरे पक्ष की सिफारिशों पर सरकार द्वारा जारी प्रमाणन इस सूचक में अंक देने के लिए विचार किया जाएगा ।

रैंकिंग प्रारूप	अंक
शहर ओडीएफ ++ प्रमाणित है	250
शहर ओडीएफ + प्रमाणित है	200
बिना किसी विफलता के शहर को ओडीएफ को फिर से प्रमाणित किया जाता है	150
असफल प्रयास के साथ शहर ओडीएफ प्रमाणित / पुनर्नवीनीकरण ओडीएफ है	100
शहर स्वयं घोषित ओडीएफ है	25

# भाग - 3

## प्रत्यक्ष अवलोकन



1,250 अंक / 5,000



**1. क्या आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र साफ हैं?  
आवासीय क्षेत्र - स्लम / ओल्ड सिटी / अनियोजित क्षेत्र / नियोजित क्षेत्र से  
चुना जाना चाहिए।**

रैंकिंग की योजना	मार्क्स
हां, 100% साफ (शून्य अपशिष्ट स्थान)	200
हां, लेकिन 100% साफ नहीं (1-2 पॉइंट / स्थानों में देखा गया अपशिष्ट)	150
आंशिक रूप से साफ (कचरा 3-5 पॉइंट / स्थानों में देखा गया)	100
साफ नहीं है (अपशिष्ट > 5 पॉइंट / स्थानों में देखा गया)	0

**पुष्टिकरण प्रक्रिया**

- निर्धारक सफाई का आवासीय क्षेत्र और वाणिज्यिक क्षेत्रों के चारों ओर निरीक्षण / मूल्यांकन करेंगे
- निर्धारक किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। यह पूरी तरह से स्थिति का अपना मूल्यांकन होगा।
- निर्धारक अपने अवलोकन / मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए फोटो खींचेंगे।

आकलन क्षेत्र	जनसंख्या			
	< 1 Lakh	1-3 Lakh	3-10 Lakh	>10 Lakh
Categories-2 (आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र)	2	2	2	2
प्रति जोन को कवर करने के लिए स्थान	5	4	5	6
शहर में कुल जोन	2	4	4	5
कुल स्थान	20	32	40	60



**2 सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय साफ और उपयोगकर्ता के अनुकूल है - Total 250 Marks**

रैंकिंग की योजना	मार्क्स
टॉयलेट बिना टूटी हुई टाइल्स / दीवार प्लास्टर के साथ सूखा और साफ है	40
पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट सुविधा	30
प्रत्येक टॉयलेट सीट के साथ कूड़ादान उपलब्ध है - नियमित रूप से खाली होता है	10
उपयोग योग्य नल और फिटिंग - पानी की उपलब्धता और फ्लश सिस्टम	40
शौचालय बच्चों के अनुकूल है - कम ऊंचाई मूत्र / छोटी सीट	10
अलग-अलग लोगों (differently abled) के लिए रैंप और हैंडल	10

रैंकिंग की योजना	मार्क्स
शौचालय के सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से प्रकाश - विद्युत प्रकाश और प्राकृतिक प्रकाश	30
वॉश बेसिन के पास साबुन / साबुन डिस्पेंसर की उपलब्धता	10
सभी दरवाजे पर कार्यात्मक बोल्ट/कुण्डी व्यवस्था	10
संचालन और संधारण के लिए केयरटेकर मौजूद है	20
ताजा हवा प्रवाह के साथ पर्याप्त वेंटिलेशन	20
आईसीटी आधारित प्रतिक्रिया प्रणाली *	20

\* <1 lakh कम जनसँख्या वाले शहर फीडबैक रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं

**पुष्टिकरण प्रक्रिया**

- निर्धारक किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। यह पूरी तरह से स्थिति का अपना मूल्यांकन होगा।
- निर्धारक अपने अवलोकन / मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए फोटो खींचेंगे।

आकलन क्षेत्र	जनसँख्या			
	< 1 Lakh	1-3 Lakh	3-10 Lakh	>10 Lakh
Categories - 2 (CT and PT)	2	2	2	2
प्रति जोन को कवर करने के लिए स्थान	3	3	5	6
शहर में कुल जोन	2	4	4	5
कुल स्थान	12	24	40	60





3. क्या सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय मंत्रालय या निकाय द्वारा डिजाइन किए गए एसबीएम संदेशों को स्वच्छ सर्वेक्षण -2019 लोगो (logo) के साथ प्रमुख रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं

रैंकिंग की योजना	माक्स
Yes	80
No	0

**पुष्टिकरण प्रक्रिया**

- निर्धारक किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। यह पूरी तरह से स्थिति का अपना मूल्यांकन होगा
- निर्धारक अपने अवलोकन / मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए फोटो खींचेंगे

Assessment Area	Population			
	< 1 Lakh	1-3 Lakh	3-10 Lakh	>10 Lakh
Categories - 2 (CT and PT)	2	2	2	2
प्रति जोन को कवर करने के लिए स्थान	3	3	5	6
शहर में कुल जोन	2	4	4	5
कुल स्थान	12	24	40	60



**4. क्या सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय ऑनसाइट सुरक्षित निपटान प्रणाली से जुड़े हैं (संख्या के साथ सेप्टिक टैंक ओवरफ्लो) या सीवर नेटवर्क - कोई खुली जल निकासी नहीं**

रैंकिंग की योजना	माक्स
Yes	80
No	0

**पुष्टिकरण प्रक्रिया**

- निर्धारक किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। यह पूरी तरह से स्थिति का अपना मूल्यांकन होगा
- निर्धारक अपने अवलोकन / मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए फोटो खींचेंगे

Assessment Area	Population			
	< 1 Lakh	1-3 Lakh	3-10 Lakh	>10 Lakh
Categories - 2 (CT and PT)	2	2	2	2
प्रति जोन को कवर करने के लिए स्थान	3	3	5	6
शहर में कुल जोन	2	4	4	5
कुल स्थान	12	24	40	60



**5. सभी सब्जी / फल और मांस / मछली बाजार साफ हैं**

- क्षेत्र साफ होना चाहिए शून्य गंदगी क्षेत्र, कोई पशु गोबर नहीं और कोई ठोस अपशिष्ट अवरुद्ध नालियों नहीं होना चाहिए
- प्रत्येक 50 मीटर में कूड़ेदान की उपलब्धता, कोई ट्रांसफर स्टेशन नहीं - कचरा वाहनों के माध्यम से एकत्र होकर स्थलीय कम्पोस्टिंग यूनिट या केन्द्रीकृत प्रसंस्करण यूनिट पर निस्पादित होना चाहिए
- बाजार क्षेत्र आवारा पशुओं / जानवरों से मुक्त होना चाहिए
  - प्रत्येक 100 मीटर में साफ सफाई के साइनेज / डिस्प्ले / होर्डिंग लगा होना चाहिए

रैंकिंग की योजना	मार्क्स
सभी 4 पैरामीटर के लिए 100% अनुपालन	170
3 पैरामीटर के लिए 100% अनुपालन	130
2 पैरामीटर के लिए 100% अनुपालन	100
सिर्फ 1 पैरामीटर के लिए 100% अनुपालन	50

**पुष्टिकरण प्रक्रिया**

- उनके अवलोकनों के अलावा, निर्धारक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विक्रेताओं / दुकानदारों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं निर्धारक अपने अवलोकन / मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए चित्रों पर क्लिक करेंगे
- साप्ताहिक सब्जी / फल बाजार और मंडिया (APMC) शामिल हैं

Assessment Area	Population			
	< 1 Lakh	1-3 Lakh	3-10 Lakh	>10 Lakh
Categories-2 (सभी सब्जी / फल और मांस / मछली बाजार )	2	2	2	2
प्रति जोन को कवर करने के लिए स्थान	2	2	3	4
शहर में कुल जोन	2	4	4	5
कुल स्थान	8	16	24	40



- 6 बड़े रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों / डिपो और शहर के हवाई अड्डे के अधीन क्षेत्र**
- अधीन क्षेत्र साफ हैं (शून्य कूड़े),
  - रेलवे पटरियों (प्लेटफॉर्म के 500 मीटर या तो दोनों तरफ) / बस स्टेशन / हवाई अड्डे के पास कोई ओडी स्पॉट नहीं मिला है,
  - अधीन क्षेत्रों में सभी दुकानदारों के पास कूड़ेदान उपलब्ध हैं और
  - स्वच्छ सर्वेक्षण -2019 होर्डिंग / बिल बोर्ड / जगह पर दीवार लेखन (शहर में आईईसी के लिएप्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जा रहा है)

रैंकिंग की योजना	मार्क्स
सभी 4 पैरामीटर के लिए 100% अनुपालन	170
3 पैरामीटर के लिए 100% अनुपालन	130
2 पैरामीटर के लिए 100% अनुपालन	100
सिर्फ 1 पैरामीटर के लिए 100% अनुपालन	50

## पुष्टिकरण प्रक्रिया

- निर्धारक शहर के बड़े रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन / डिपो और हवाई अड्डे के अधीन क्षेत्रों को देखेंगे
- निर्धारक किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। यह पूरी तरह से स्थिति का अपना मूल्यांकन होगा
- निर्धारक अपने अवलोकन / मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए फोटो खींचेंगे

Note: •यदि शहर में कोई रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डा नहीं है, तो निर्धारक दूसरे बड़े बस स्टेशन देखेगा यदि दूसरा बस स्टेशन भी नहीं है तो, अन्य परिवहन केंद्र (टैक्सी स्टैंड / ऑटो स्टैंड) पर विचार किया जाएगा।



7. स्वच्छ सर्वेक्षण -2019: होर्डिंग्स / बिलबोर्ड / दीवार लेखन शहर के सभी वाणिज्यिक / सार्वजनिक क्षेत्रों में दिखाई देता है  
(शहरों को आईईसी के लिए प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है)

रैंकिंग की योजना	माक्स
Yes	100
No	0

### पुष्टिकरण प्रक्रिया

- निर्धारक किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। यह पूरी तरह से स्थिति का अपना मूल्यांकन होगा।
- निर्धारक अपने अवलोकन / मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए फोटो खींचेंगे

Assessment Area	Population			
	< 1 Lakh	1-3 Lakh	3-10 Lakh	>10 Lakh
Categories - 2 (CT and PT)	2	2	2	2
प्रति जोन को कवर करने के लिए स्थान	3	3	5	6
शहर में कुल जोन	2	4	4	5
कुल स्थान	12	24	40	60



**8. झोपड़ियां / पुराने शहर के क्षेत्रों, फ्लाईओवर, सार्वजनिक स्थानों की दृश्यमान सुंदरता?**

(1) दीवार चित्र / मूर्तियां / कलाकृतियों, (2) वृक्षारोपण, (3) कवर जल निकासी, (4) कोई पानी भराव स्थल नहीं, (5) कोई टूटा फुटपाथ नहीं, (6) जल निकायों / नालियों में कोई ठोस अपशिष्ट नहीं  
पानी की नालियों - ठोस अपशिष्ट बहने के लिए जगह में निस्पंदन / स्क्रीनिंग प्रणाली

रैंकिंग की योजना	माक्स
Yes for all 6 above	200
Yes for any 5 above	150
Yes for any 4 above	110
Yes for any 3 above	70
Yes for at least any 2 above	30


**पुष्टिकरण प्रक्रिया**

- निर्धारक उपर्युक्त क्षेत्रों / प्रतिष्ठानों में से सभी का दौरा करेंगे
- निर्धारक किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। यह पूरी तरह से स्थिति का अपना मूल्यांकन होगा
- निर्धारक अपने अवलोकन / मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए फोटो खींचेंगे

Assessment Area	Population			
	< 1 Lakh	1-3 Lakh	3-10 Lakh	>10 Lakh
श्रेणी -2: झोपड़ियां और सार्वजनिक स्थान	2	2	2	2
प्रति जोन को कवर करने के लिए स्थान	5	4	5	6
शहर में कुल जोन	2	4	4	4
कुल स्थान	20	32	40	48

# भाग - 4

## नागरिक प्रतिक्रिया



**1,250 अंक / 5,000**

850 : नागरिक प्रश्न

400 : स्वच्छता ऐप

1. क्या आप जानते हैं कक आपकाशहर स्वच्छता रैंककंर् के मलए स्वच्छ सवेक्षण -2018में भार ले रहा है?

(यह आकलन करने के मलए कक शहर ने स्वच्छ सवेक्षण अमभयान को आक्रामक रूप से बढावा टदयाऔर नाररकों तक पहुंच र्या)

रैंकिग की योजना	माक्स
Yes	125
No	0





2. क्या आप अपने शहर में स्वच्छता स्तर से संतुष्ट हैं?  
(यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या नागरिक स्वच्छता में  
प्रत्यक्ष सुधार महसूस करते हैं)

रैंकिंग की योजना	माक्स
हाँ - बहुत साफ या कोई शिकायत नहीं	125
वास्तव में नहीं - लेकिन पिछले साल की तुलना में बेहतर है	100
कोई बदलाव नहीं - स्थिति क्यू	50
नहीं, पिछले साल से भी बदतर	0



3. क्या आप आसानी से वाणिज्यिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में कूड़ेदान डिब्बे खोज सकते हैं?

(यह आकलन करने के लिए कि क्या निकाय ने रणनीति से/ महत्वपूर्ण स्थानों पर कूड़ेदान डिब्बे रखे हैं - वाणिज्यिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में)

रैंकिंग की योजना	मार्क्स
हाँ , और आस पास कचरा नहीं गिरा हुआ	125
हाँ, हमेशा भरा हुआ/ कचरा गिरा हुआ	70
ज्यादा नहीं	30
बिल्कुल भी नहीं	0



4. क्या कचरा संगृहीत करने वाले आपसे गीला और सूखा कचरा अलग अलग देने के लिए बोलते है?

(यह आकलन करने के लिए कि निकाय द्वारा कचरा पृथकीकरण व्यवस्था लागू की गई है)

रैंकिंग की योजना	माक्स
Yes	125
No	0



**5. क्या आप जानते है आपका कचरा संगृहीत होने के बाद कहा जाता है? - डंपिंग साइट/ सेनेटरी लैंडफिल साइट और प्रसंस्कृत कार्यस्थल।**

(यह आकलन करने के लिए कि नागरिक शहर मे कचरा निष्पादन व्यवस्था के बारे मे जागरूक हैं)

रैंकिंग की योजना	माक्स
Yes	100
No	0



6. क्या सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय अब अधिक साफ और सुलभ हैं।

(यह आकलन करने के लिए कि नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर साफ यूरिनल/ टॉयलेट उपयोग कर रहे हैं)

रैंकिग की योजना	माक्स
Yes	125
No	0



7. क्या आप अपने शहर की ओडीएफ स्थिति जानते हैं?  
 (यह पता लगाने के लिए कि क्या निकाय ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने शहर के नागरिकों को शामिल कर रही हैं)

रैंकिंग की योजना	माक्स
हां - निकाय ओडीएफ (घोषित / प्रमाणित) या ओडीएफ नहीं है	125
नहीं	0



## Swachhata App

1. स्वच्छता ऐप / स्वच्छ मंच / स्थानाग्र ऐप (स्वच्छता ऐप के साथ एकीकृत) पर सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या सक्रिय उपयोगकर्ता उस महीने के दौरान निम्न में से कोई भी कार्य कर चुके हैं:

- शिकायत पोस्ट की • शिकायत पर वोट दिया
- शिकायत पर टिप्पणी की • निराकरित शिकायत पर प्रतिक्रिया दी गई
- स्वच्छ मंच के माध्यम से एक कार्यक्रम के लिए वालंटियर किया
- स्वच्छ मंच (सोशल मीडिया) पर एक कार्यक्रम साझा किया
- सफलतापूर्वक स्वच्छ मंच पर एक कार्यक्रम बनाया।

रैंकिंग की योजना
अधिकतम नंबर: 100
नीचे दिए गए सूत्र द्वारा की गई गणना के अनुसार निकाला गया प्रतिशत उस माह का स्कोर होता है
स्वच्छ Survekshan -2019 के इस मापदंड के लिए अंतिम स्कोर प्रतिमाह के प्रतिशत का औसत होगा

### पुष्टिकरण प्रक्रिया :

- रैंकिंग महीने के आधार पर कि जाएगी (प्रभावी 11 अगस्त 2018 से 31 जनवरी 2019 तक )
  - प्रत्येक महीने के अंतिम रैंक की गणना निम्नलिखित मानकों के औसत के आधार पर की जाएगी
  - न्यूनतम 2% आबादी को डाउनलोड करना
  - फॉर्मूला होगा -  
 उपयोगकर्ता भागीदारी = (सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या) / शहर के पंजीकरण X100

— स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के इस सूचक का अंतिम स्कोर प्रतिमाह 11 अगस्त, 2018 से 31 जनवरी 2019 में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर होगा



Swachhata App

2. कितने प्रतिशत समस्याओ का समय सीमा के अन्तर्गत निराकरण किया गया?

रैंकिंग की योजना
अधिकतम नंबर: 100
नीचे दिए गए सूत्र द्वारा की गई गणना के अनुसार निकाला गया प्रतिशत उस माह का स्कोर होता है
स्वच्छ Survekshan -2019 के इस मापदंड के लिए अंतिम स्कोर प्रतिमाह के प्रतिशत का औसत होगा

**पुष्टिकरण प्रक्रिया : समाधान दर**

• फॉर्मूला होगा:

$$\text{समाधान दर} = \frac{(\text{हल की गई शिकायतों की संख्या} - \text{पुनः खोली गई शिकायतें} - 2 \times \text{नकली समाधान})}{\text{शहर की कुल शिकायतें}} \times 100$$

- Note:

- सूत्र केवल तभी लागू होगा जब किसी शहर को उस महीने की कुल आबादी की 0.1% या उससे ज्यादा शिकायतें प्राप्त होती है

स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के इस सूचक का अंतिम स्कोर प्रतिमाह 11 अगस्त, 2018 से 31 जनवरी 2019 में प्राप्त औसत अंको के आधार पर होगा





Swachhata App

3. कुल पंजीकरण: 31 जनवरी 2019 तक कितने प्रतिशत आबादी ने स्वच्छता ऐप / स्थानीय ऐप डाउनलोड किया है या स्वच्छ मंच में शामिल हुए है (सभी समावेशी)?

रैंकिंग की योजना	माक्स
>=15%	100
>=10% & <15%	80
>=8% & <10%	60
>=6% & <8%	40
>=4% & <6%	30
>=2% & <4%	20
< 2%	0

**पुष्टिकरण प्रक्रिया : समाधान दर**

फॉर्मूला होगा:

$$\text{समाधान दर} = (\text{पंजीकरण की संख्या}) / \text{शहर की जनसंख्या} \times 100$$

Note: इस मानदंड के लिए न्यूनतम योग्यता २% पंजीकरण है  
स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ के लिए इस मानदंड की अंतिम गणना ऊपर दी गई टेबल के अनुसार होगी



## 4. समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में उपभोक्ता प्रतिक्रिया

### रैंकिंग की योजना

अधिकतम नंबर: 100

नीचे दिए गए सूत्र द्वारा की गई गणना के अनुसार निकाला गया प्रतिशत उस माह का स्कोर होता है

स्वच्छ Survekshan -2019 के इस मापदंड के लिए अंतिम स्कोर प्रतिमाह के प्रतिशत का औसत होगा

### पुष्टिकरण प्रक्रिया: उपभोक्ता प्रतिक्रिया

फॉर्मूला होगा:

उपभोक्ता प्रतिक्रिया - (एसएलए के भीतर हल शिकायतों पर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं की संख्या) / एसएलए में हल शिकायतों की संख्या X 100

- नोट: सूत्र केवल तभी लागू होगा जब किसी शहर को उस महीने की कुल आबादी की 0.1% या उससे ज्यादा शिकायतें प्राप्त होती हैं
- केवल शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया पर विचार किया जाएगा
- इस सूचक के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए उस विशेष महीने में न्यूनतम 10% सक्रिय उपयोगकर्ता अनिवार्य होना चाहिए
  - स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के इस सूचक का अंतिम स्कोर प्रतिमाह 11 अगस्त, 2018 से 31 जनवरी 2019 में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर होगा



**Ministry of Housing  
and Urban Affairs**  
Government of India